सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 10 राँची, बुधवार 8 अप्रैल, 2026 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	222-304	**भाग-4**–झारखण्ड अधिनियम	
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।		**भाग-5**–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।		**भाग-7**–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।		**भाग-8**- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा		**भाग-9**- विज्ञापन	---
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।		**भाग-9-क**–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।		**भाग-9-ख**–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
		पूरक-- ...	...
		पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 जनवरी, 2026

संख्या-13/आई०पी०एस०-116/2019-179--श्री मनोज कौशिक, भा०पु०से०(2001), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम- 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-03.09.2025 से 22.09.2025 तक कुल-20 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजीत कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2025 ई०

सं0-08/विविध (01)-26/2025-7784--चूंकि राज्यपाल झारखण्ड, निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में लोक व्यवस्था के अनुरक्षण तथा विध्वंसात्मक कार्यो को निवारित व प्रतिबंधित करने हेतु व अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु यह आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं, कि इस निमित्त विशेष पूर्वावधान बरती जाय। अतः बिहार (सहपठित झारखण्ड) राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम, 1979 (बिहार अधिनियम 1 1979) की धारा-3, उपधारा-1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के द्वारा अतिसंवेदनशील स्थल के अंतर्गत ओ०एन०जी०सी० जी०सी०एस० (GCS) प्लांट, मौजा-खूदगड्डा, अंचल-गोमिया, जिला-बोकारो के कुल रकबा 14.23 एकड़ भूमि एवं Mode-B Explosive Magazine ONGC Store BIADA, Balidhih, Bokaro मौजा-गोड़ाबाली, थाना सं०-0179 के कुल रकवा-13.00 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है :-

क्र०	संरचना का नाम	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	चौहद्दी				अधिग्रहण का प्रकार
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	
1	ओ०एन०जी०सी० जी०सी०एस० (GCS) प्लांट	खूदगड्डा अंचल गोमिया		8	1710	1.17	सर्वे रोड	प्लॉट सं०-1641	जी० एम० प्लॉट एवं प्लॉट सं०-1708	प्लॉट सं०-1543	लीज डीड सं०-3871 दिनांक-21-09-2017
2					1712	8.05					
3				46	1713	2.29					
4					1714	0.05					
5					1715	0.10					
6					1716	0.04					
7					1717	0.59					
8					1718	0.06					
9					1719	1.44					
10					1720	0.28					
11				106	1709	0.04					

12					1711	0.06					
13					2023	0.06					
कुल रकवा :-14.23 एकड़											

क्र०	**संरचना का नाम**	**मौजा**	**थाना नं०**	**खाता नं०**	**प्लॉट नं०**	**रकवा**	**चौहद्दी**				**अधिग्रहण का प्रकार**
							उत्तर	**दक्षिण**	**पूरब**	**पश्चिम**	
1	Mode-B Explosive Magazine ONGC Store BIADA, बालिडीह, बोकारो।	गोड़ाबाली अंचल चास	179	74	3612	1.37	गाँव का चार दिवारी	Plot No.-03, Plot No.-01	गाँव का चारदिवारी	गाँव का चारदिवारी	लीज डीड सं०-2449 दिनांक-10-05-2023
2				66	3611	4.30					
3				177	3610	0.40					
4				66	3609	0.76					
5				177	3608	2.98					
6				177	1	2.57					
7				66	2	0.02					
8				66	3	0.60					
कुल रकवा :-13 एकड़											

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 फरवरी, 2026

सं०सं०- 2/नि0सं0-12-222/2014 का. 1018-- श्री नरेश कुमार मुण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-457/20), अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के दिनांक 02.06.2025 से 28.07.2025 तक (कुल 57 दिन) का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(चिन्टू दोराईबुरू)

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

02 मार्च, 2026

सं०सं०-03/नि0सं0-08-20/2023 का. 1348-- श्रीमती नूतन कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-193/20), उप निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, झारखण्ड, राँची का दिनांक 02.04.2024 से 05.05.2024 तक (कुल 34 दिन) तथा दिनांक 24.05.2025 से 15.06.2025 तक (कुल 23 दिन) की अवधि के लिए निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i)	दिनांक 02.04.2024 से 03.05.2024 तक (कुल 32 दिन)	-	उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत ।
(ii)	दिनांक 04.05.2024 एवं 05.05.2024 तक (कुल 2 दिन)	-	शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश के रूप में।
(iii)	दिनांक 24.05.2025 से 13.06.2025 तक (कुल 21 दिन)	-	उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत।
(iv)	दिनांक 14.06.2025 एवं 15.06.2025 तक (कुल 2 दिन)	-	शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश के रूप में।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(चिन्टू दोराईबुरू)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

02 मार्च, 2026

संख्या-2/नि0सं0-12-97/2020 का०- 1349-- श्रीमती नूपुर कुमारी, झा०प्र०से०, षष्ठम बैच, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करमाटांड़-विद्यासागर, जामताड़ा को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में दिनांक 06.01.2026 से 04.07.2026 तक (कुल 180 दिन) का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

15 जनवरी, 2026

संख्या-13/ने. 06-09/2025/117--

विषयः-नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं सुसंचालन हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना वर्ष 1954 में राज्य के प्रीमियर विद्यालय के रूप में की गयी थी। छात्रों के प्रथम बैच में 60 विद्यार्थी थे, जो वर्ष 1954 में 6-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हुए थे। वर्ष 1982 से छात्रों की संख्या 100 छात्र प्रतिवर्ष/बैच कर दी गयी थी।

2. विभागीय संकल्प सं. 323 दिनांक 23.10.2009 द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय को "नेतरहाट विद्यालय समिति" के नाम से एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में परिवर्तित करते हुए समिति के "सामान्य निकाय" एवं "कार्यकारिणी समिति" के अधिकार एवं कार्यों का निर्धारण किया गया था। वर्ष 2010 की अधिसूचना के प्रभावी होने के फलस्वरूप गठित सामान्य निकाय, जिसके पदेन अध्यक्ष विभागीय मंत्री एवं उपाध्यक्ष, विकास आयुक्त, झारखण्ड होते हैं, द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का मनोनयन तथा सभापति का मनोनयन, राज्य सरकार द्वारा संस्था के सदस्य के रूप में मनोनीत नेतरहाट विद्यालय के पूर्व छात्रों से किया जाता है।

3. वर्त्तमान में नेतरहाट विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से संबद्ध है, अतएव् इस विद्यालय के संदर्भ में भी यह अपरिहार्य हो गया है कि सी.बी.एस.ई. विद्यालयों हेतु लागू परिवर्त्तन एवं पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप शीघ्रातिशीघ्र किया जाय। असली परिवर्त्तन एक या दो हस्तक्षेप से प्रारंभ और खत्म नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रगति और सुधार हेतु त्वरित समाधानों से आगे जाकर दीर्घकालिक एवं स्तरित बदलाव के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है।

4. विगत कुछ वर्षों में इस विद्यालय की गहन समीक्षा एवं स्थल भ्रमण में शैक्षणिक प्रगति में स्पष्ट ठहराव पाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) के अनुरूप शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं विद्यालय को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा प्रीमियर विद्यालय, नेतरहाट में नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति, पठन-पाठन से संबंधित तकनीकों में परिवर्तन, मूल्यांकन सहित सभी पहलुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रबंधन एवं शिक्षण के स्तर पर ज्यादा सक्षम परिवर्त्तन हेतु सर्वप्रथम नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, 2010 को वत्र्तमान अपेक्षाओं एवं आवश्यकता के अनुरूप, इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के प्रभाव से निरसित करते हुए विस्तृत नियमावली के गठन का राज्य सरकार द्वारा निर्णय

लिया गया है, जिससे विद्यालय की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके, उसकी उपयोगिता एवं महत्व प्रमाणित हो सके तथा छात्र भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार हो सकें।

5. अतएव् विद्यालय के संबंध में आवश्यक नीतियों के निर्धारण, उनके समयबद्ध अनुपालन के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुए "नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, 2010" का निरसन करते हुए "नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026" के गठन (अधिसूचना प्रति संलग्न) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-09.01.2026 की बैठक में मद संख्या-31 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

उमा शंकर सिंह,
सरकार के सचिव।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

26 फरवरी, 2026

संख्या 13/ने. 06-06/2025: 702-- दिनांक-26.02.2026 **'भारत के संविधान'** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/ सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली गठित करते है:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यह **नियमावली, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026** कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्यान्तर्गत होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

अध्याय-2

2.परिभाषाएँ:- जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में -

(i) **"सरकार"**सेअभिप्रेतहै, झारखण्ड सरकार।

(ii) **"निदेशक"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक।

(iii) **"झारखण्ड लोक सेवा आयोग"** से अभिप्रेत है, संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति में राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अनुशंसा करने वाला संवैधानिक निकाय।

(iv) **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग"** से अभिप्रेत है, विधि के अन्तर्गत अराजपत्रित पदाधिकारियों/कार्मिकों (समूह-"ख" अराजपत्रित एवं समूह-"ग") की नियुक्ति में राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अनुशंसा करने वाला वैधानिक निकाय।

(v) **"सक्षम प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, नियमावली के संगत प्रावधान अंतर्गत उल्लिखित सक्षम प्राधिकार।

(vi) **"प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय प्रधान के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(vii) **"उप प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय के उप-प्रधान के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(viii) **"सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय में सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति की योग्यता एवं अर्हत्ता धारण करने एवं मुख्यतः वर्ग-09 से वर्ग-12 तक के शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति।

(ix) **"सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित"** से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय में सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति की योग्यता एवं अर्हत्ता धारण करने एवं मुख्यतः वर्ग-06 से वर्ग-08 तक के शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति।

(x) **"शिक्षकेत्तर कर्मचारी"** से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत शिक्षकों को छोड़ कर विद्यालय में नियुक्त अन्य सभी पूर्णकालिक कर्मचारी।

(xi) **"प्रशासक समिति"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा गठित/पुनर्गठित समिति/निकाय।

(xii) **"परीक्ष्यमान"** से अभिप्रेत है, मौलिक रिक्ति में किसी खास अवधि के लिए परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त प्राचार्य, सह-अध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी।

(xiii) **"सरकार के सचिव"** से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव।

(xiv) **"क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमण्डलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(xv) **"जिला शिक्षा पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(xvi) **"प्रशिक्षण"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) में प्रावधानित प्रशिक्षण डिग्री।

(xvii) **"मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण के संबंधित सत्र के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

(xviii) **"प्रशासी पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय के प्रशासी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त/पदस्थापित/प्रतिनियुक्त व्यक्ति।

अध्याय-3

3. नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में पदों की श्रेणियाँ निम्रांकित होंगी। राज्य सरकारद्वारा पदनाम अथवा उसके विषय के नाम में अपेक्षित/आवश्यक परिवर्त्तन किया जा सकेगा तथा आवश्यकता/नामांकन अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जा सकेंगे -

	पदनाम	कोटि/पदों की संख्या	वेतनमान
(क)	प्राचार्य, (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)	समूह "क" (मूल कोटि) -01	वेतनमान् रु 37400-67000, ग्रेड-पे 8700 (लेवल-13)
(ख)	उप प्राचार्य, (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)	समूह "क" (मूल कोटि) -01	वेतनमान् रु 15600-39100, ग्रेड-पे 7600 (लेवल-12)
(ग)	सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (वर्ग-09 से 12) (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा-34)	समूह "क" (मूल कोटि) - (संस्कृत-1, हिन्दी-2, अंग्रेजी-5, संथाली-1, रसायन शास्त्र-3, भौतिकी-3, जीव विज्ञान-3, गणित-3, कम्प्यूटर विज्ञान (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग-2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी -2 सहित) - 6, भूगोल-1, इतिहास-1, राजनीति विज्ञान-1, अर्थशास्त्र-1, वाणिज्य-1, विशेष शिक्षा-1 एवं शारीरिक शिक्षा-1) - 34	वेतनमान् रु. 15600-39100, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-10)/ *After next 10years satisfactory service* वेतनमान् रु. 15600 -39100, ग्रेड-पे 6600 (लेवल-11)/ *After next 10years satisfactory service* वेतनमान् रु. 15600-39100, ग्रेड-पे 7600 (लेवल-12)
(घ)	सह-अध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित (वर्ग-06 से 08) (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा-25)	समूह "ख" (मूल कोटि) - (संस्कृत-1, हिन्दी-1, अंग्रेजी-3, संथाली-1, हो-1, कुड़ुख-1, कुरमाली-1, रसायन शास्त्र-1, भौतिकी-1, जीव विज्ञान-1, गणित-3, कम्प्यूटर विज्ञान (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग-2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी-2 सहित)-6, भूगोल-1, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र-1, संगीत शिक्षक -1 एवं विशेष शिक्षा- 1) - 25	वेतनमान् रु. 9300-34800, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-09)/*After next 10 years satisfactory service* वेतनमान् रु. 15600 -39100, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-10)/*After next 10years satisfactory service* वेतनमान् रु. 15600-39100, ग्रेड-पे 6600 (लेवल-11)
(ड.)	चिकित्सा पदाधिकारी (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से पदस्थापन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	समूह "ख" (मूल कोटि) - 01	संबंधित विभाग के अनुसार जो लागू हो।

(च)	प्रशासी पदाधिकारी (सीधी नियुक्ति/ प्रशासी विभाग द्वारा पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	समूह "ख" (मूल कोटि) - 01	वेतनमान् रु. 9300-34800, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-9)
(छ)	शिक्षकेत्तर कर्मी-36 (सीधी नियुक्ति/ पदस्थापन/बाह्य स्रोत द्वारा)	(i) समूह "ग" (मूल कोटि) - अनुदेशक (शारीरिक शिक्षा-01, संगीत (नृत्य)-01, कृषि-01 एवं कम्प्यूटर शिक्षा-01) -04, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष-02, वार्डन-02, प्रयोगशाला प्रदर्शक (भौतिकी-2, रसायन-02, जीव विज्ञान-02, कम्प्यूटर विज्ञान-06) - 12, प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल-01) -21	वेतनमान् रु. 9300-34800, ग्रेड-पे 4200 (लेवल-6) (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)
		(ii) समूह "ग" (मूल कोटि) पाकशाला प्रबंधक-01	वेतनमान् रु. 5200-20200, ग्रेड-पे 2400 (लेवल-4) (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)
		(iii) समूह "ग" (मूल कोटि)- (भंडारी-3,, आशुटंकक-1, रोकड़पाल-1 लिपिक-3, लेखालिपिक-2, टंकक तथा पत्राचार लिपिक-2) - 12	वेतनमान् रु. 5200-20200, ग्रेड-पे 1900 (लेवल-2) (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)
		(iv) समूह "ग" (मूल कोटि) (जीप चालक) - 02	वेतनमान् रु. 5200-20200, ग्रेड-पे 1900 (लेवल-2)/ बाह्य स्रोत (Out Sourcing) से निविदा के आधार पर।
(ज)	समूह "घ" (मूल कोटि) (बिजली मिस्त्री-02, प्लंबर-02, दफ्तरी-05 रसोईया-21, माली-10, आदेशपाल-14, चैकीदार/दरवान-8, आश्रम सेवक-07, रसोईया मजदूर-03 स्वीपर-06, पुस्तकालय सेवक-07 तथा प्रयोगशाला रक्षक-07) - 92		बाह्य स्रोत (Out Sourcing) से निविदा के आधार पर।

अध्याय-4

4. संवर्ग एवं नियोक्ता -

(क)(i) इस विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित एवं प्रशासी पदाधिकारी का संवर्ग राज्य-स्तरीय होगा, तथा इनके नियोक्ता राज्य सरकार होगी।

(ii) प्रशासी पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी के पद को मुख्यतः राज्य शिक्षा सेवा, समूह-"ख" तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी, समूह-"ख" के पदाधिकारी से मूल विभाग द्वारा पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में पदस्थापन के रूप में अधिकतम् 01 बार में 03 वर्षों की अवधि के लिए भरा जाएगा।

(ख)(i) इस विद्यालय के समूह-"ग" के शिक्षकेत्तर कर्मियों का संवर्ग विद्यालय स्तरीय होगा। इनकी नियुक्ति विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति के सदस्य सचिव, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा की जाएगी।

(ii) समूह-"घ" के सभी पदों पर बाह्य स्रोत से कर्मियों की सेवा, विद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राप्त की जाएगी।

अध्याय-5

5. (क) योग्यता/अर्हता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया-

(A) प्राचार्य एवं उप प्राचार्य पद - इस नियमावली के नियम-3 (क) एवं (ख) में उल्लेखित प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी, जिनके द्वारा नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे-

"(i) सीधी नियुक्ति की अर्हत्ता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया:-

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के समरूप निम्नांकित होगी:-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता

मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

(ii) आयु सीमा -

जिस पंचांग वर्ष में प्राचार्य अथवा उप प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति के लिये अधिचायना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी, उस अधिचायना वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम् आयु 30 वर्ष तथा अधिकतम् आयु 45 वर्षो की होगी।

वर्त्तमान में कार्यरत, प्राचार्य/उप प्राचार्य, जिनके अनुबंध की अवधि शेष है, को उपबंधित अधिकतम् उम्र सीमा के सापेक्ष, उनके द्वारा अनुबंध के आधार पर दी गयी कुल सेवा अवधि के अतिरिक्त और 10 वर्ष जोड़ते हुए उन्हें अधिकतम् उम्र सीमा की छूट, संबंधित पद के विरुद्ध नयी नियुक्ति हेतु आवेदन के क्रम में केवल प्रथम संव्यवहार में दी जा सकती है।

(iii) प्राप्त आवेदन पत्र में से अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो निम्नवत् होगी:-

		प्रश्न-पत्र	पूर्णांक
(a)	(क)	प्रश्नपत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान की परीक्षा (200 प्रश्नों की)।	- 200 अंक
	(ख)	प्रश्न पत्र (2)- विषय, जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है (200 प्रश्नों की)।	- 450 अंक
	(ग)	प्रश्न पत्र (3)- कम्प्यूटर ज्ञान एवं मानसिक अभिरुचि ज्ञान की परीक्षा (200 प्रश्नों की)।	- 250 अंक

(b) उक्त तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (3) स्नातक स्तरीय तथा प्रश्न पत्र (2) **स्नातकोत्तर स्तर** का होगा। सभी प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(c) प्रश्न पत्र (1) एवं (3) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 (0.25) ऋणात्मक अंक तथा प्रश्न पत्र (2) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 (0.33) ऋणात्मक अंक देय होंगे।

(d) प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) में, प्रत्येक में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम् 40 प्रतिषत अंक लाना अनिवार्य होगा। परंतु मेधा सूची में स्थान पाने हेतु तीनों प्रश्न पत्रों के योग के रूप में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) के प्राप्तांक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(e) अंतर्वीक्षा -

प्रकाशित रिक्तियों के दस गुणा अभ्यर्थियों को 100 अंकों की अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतर्वीक्षा में न्यूनतम् 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम् 02 गुणा अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची तैयार की जाएगी। यह सूची प्राचार्य अथवा उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगी, किन्तु कोई भी नियुक्ति सशर्त्त होगी कि संबंधित पद पर, परिवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने सहित कम से कम 05 वर्षों की न्यूनतम् सेवा पूर्ण करनी होगी। सूची से नियुक्ति एवं पदस्थापन के पश्चात् यह सूची एक माह में स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(f) मेधासूची -

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

(IV) अनुभवः-

(क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक/उप प्राचार्य/प्राचार्य के रूप में अद्यतन कार्यरत हों तथा

(ख) नियुक्त विषय में एक या अधिक विद्यालयों में न्यूनतम् परंतु व्यवधान रहित/लगातार 12 वर्षो का शिक्षण अनुभव, जिसमें आवासीय +2 विद्यालय में आश्रमाध्यक्ष/वार्डेन/उप प्राचार्य/प्राचार्य के रूप में न्यूनतम् (समेकित) 02 वर्षो का कार्यानुभव वांछित, परंतु अनिवार्य नहीं होगा एवं जो 12 वर्षों की लगातार सेवा अवधि में सम्मिलित होगी।

(V) वांछित योग्यता:-

कम्प्यूटर संचालन एवं ए.आई./रोबोटिक्स/कम्प्यूटर की कार्यकारी जानकारी।

(VI) अन्य शर्त्तें:-

आवासीय विद्यालय में कार्य करना है। अतः वैसे ही अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं, जो विद्यालय की आवासीय व्यवस्था के तहत् विद्यालय में आवासित रहकर ही पठन-पाठन करने को तैयार हैं।

(B) सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित:-

इस नियमावली के नियम-3 (ग) में उल्लेखित सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु राज्यस्तरीय आरक्षण प्रावधान/रोस्टर के अनुरूप कोटिवार पदों की सूचना के रूप में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी, जिनके द्वारा नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे-

"(I) (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के समरूप निम्नांकित होगी:-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 अथवा 04 वर्षीय स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की पढ़ाई सभी 03 अथवा 04 वर्षों में की गई हो) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमान्य होगी।"

(ग) (i) **सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (कम्प्यूटर विज्ञान) (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग-2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी -2 सहित) -6 पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

1. M.Sc. (Computer Science/IT) MCA (Regular) from Recognized University with at least 55% marks

   अथवा

   M.E. or M.Tech. (Computer Science/I.T.) from a Recognized University/Institution with at least 55 marks.

   अथवा

   B.E. or B.Tech. (Computer Science/ I.T.) from a Recognized University/Institution with at least 55% marks with Post Graduate Diploma in Computer Application or B or C Level Diploma from DOEACC, Ministy of Communication & I.T.

2. B.Ed. Degree from NCTE, Recognized Institution/ University with at least 50% marks.

   अथवा

   Three Years integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE, Recognized Institution/ University with at least 50% Marks

अथवा

Foru Years integrated Degree with at least 55% marks from NCTE, Recognized Institution/ University including B.Ed. component.

(ii) **सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (शारीरिक शिक्षा) पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.ई.) या स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिषत अंकों सहित स्पोर्टस में डिग्री।

या

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2007 (10 दिसम्बर 2007 को अधिसूचित) के अनुसार बी.पी.एड. डिग्री/बी.पी.एड. (एकीकृत) चार वर्ष की व्यावसायिक डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक।

या

कम से कम 55 प्रतिषत अंकों सहित बी.पी.एड. अथवा दिनांक 13 नवम्बर, 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन जमा कराने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम की मान्यता हेतु मानदण्ड तथा मानक का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार कम से कम 50 प्रतिषत अंकों सहित तीन वर्षीय बी.पी.ई. (अथवा इसके समतुल्य) कोर्स।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कम से कम दो वर्ष की अवधि का एम.पी.एड.।

(iii) **सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (विशेष शिक्षा) पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

1. किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि **(Masters Degree from recognized university.)।**

2. बी.एड. (विशेष शिक्षा) (B.Ed. (Special Education))।

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा **(B.Ed. (General Education)**

with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in Special Education or Post Graduate Professional Diploma in Special Education)।

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण-पत्र B.Ed. **((General Education)and Post Graduate Professional Certificate in Special Education.)।**

अथवा

विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Mental Retardation)।**

अथवा

विशेष शिक्षा (बहु विकलांगता: शारीरिक एवं तंत्रिका) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological)।**

अथवा

विशेष शिक्षा में (गतिशीलता में हानि और दिमागी पक्षाघात) स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy))।**

अथवा

श्रवण हानि में सेकेण्डरी स्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **(Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment)।**

अथवा

बधिर शिक्षण में वरिष्ठ डिप्लोमा **(Senior Diploma in Teaching the deaf)**

अथवा

श्रवण हानि में बी.ए. बी.एड. **(BA, B.Ed. in visual Impairment)।**

3. **भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) के साथ पंजीकरण (Registration with Rehabilitation Council of India (RCI))।**

(ii) ”इस नियमावली के नियम 3 (ग) में अंकित सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अपने बेवसाईट पर एवं समाचार पत्र में विधिवत् सूचना का प्रकाशन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के

अनुसार समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।"

(C) सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित :- इस नियमावली के नियम-3 (घ) में उल्लेखित सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु राज्यस्तरीय आरक्षण प्रावधान/रोस्टर के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी, जिनके द्वारा नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे-

"(I) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35वाँ) के खण्ड-23 के उप-खण्ड *(i)*के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी राष्ट्रीय अध्यापकशिक्षा परिषद् की दिनांक 23.08.2010 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम् अर्हत्ताओं तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के समरूप निम्नांकित होगी:-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय

स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 अथवा 04 वर्षीय स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की पढ़ाई सभी 03 अथवा 04 वर्षों में की गई हो) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

एवं

झारखण्ड सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित संबंधित विषय अनुरूप षिक्षक पात्रता परीक्षा, वर्ग- 06-08, न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण योग्यताधारी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमान्य होगी।"

(ग) (i) **स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग-2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी -2 सहित) -6 पद पर नियुक्ति हेतु -**

1. BE/B. Tech-Computer Science/Computer Engineering/Information Technology / Electronics/Electronics & Communications or Equivalent.

OR

MCA/M.Sc./Computer Science/Information Technology/Masters in IT or Equivalent.

OR

M.Sc. (Mathematics) and B.Sc. (Computer Science) or BCA or Equivalent.

OR

Post Graduate degree in Mathematics or Physics or Statistics and 3 year Diploma in Computer Engineering/IT from and institution recognized by the AICTE/University.

OR

Post Graduate degree in Mathematics or Physics or Statistics and at least Post Graduate Diploma in Computer Application from an institution recognized by the AICTE/University or equivalent.

OR

B'level certificate from DOEACC

AND

2. Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) from NCTE recognized institute.

WITH

3. CTET Class VI-VIII of JTET Class VI-VIII passed with 60% marks.

अर्थात्, न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालय (विश्वविद्यालय) से B.E./B.Tech उत्तीर्ण अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में समरूप अंकों/ग्रेड के साथ M.Sc./M.C.A.उत्तीर्ण की योग्यता तथा B.Ed. प्रशिक्षण की योग्यता एवं CTET Class VI-VIII or JTET Class VI-VIII,60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की योग्यता अनिवार्य होगी।

(ii) **स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक (विशेष शिक्षा) पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि **(Graduation Degree from recognized university)।**

2. **बी.एड. (विशेषशिक्षा) (B.Ed. (Special Education))।**

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा **(B.Ed. (General Education)with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in Special Education or Post Graduate Professional Diploma in Special Education.)।**

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण-पत्र **B.Ed. ((Genral Education) and Post Graduate Professional Certificate in Sepcial Education.)** ।

अथवा

विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Mental Retardation))**।

अथवा

विशेष शिक्षा (बहु विकलांगता: शारीरिक एवं तंत्रिका) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Multiple Disability : Physical and Neurological)**।

अथवा

विशेष शिक्षा में (गतिशीलता में हानि और दिमागी पक्षाघात) स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy))** ।

अथवा

श्रवण हानि में सेकेण्डरी स्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **(Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment)** ।

अथवा

बधिर शिक्षण में वरिष्ठ डिप्लोमा **(Senior Diplomain Teaching the Deaf)** ।

अथवा

श्रवण हानि में बी.ए. बी.एड. **(BA B.Ed. in visual Impairment)** ।

3. भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) के साथ पंजीकरण **(Registration with Rehabilitation Council of India (RCI))** ।

4. **Passed CTET (Paper-II Upper Primary Level) with 60% marks conducted by Central Goverment or passed JTET (Class VI to VIII) with 60% marks condctecd by State of Jharkhand.**

(iii) **स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक (संगीत)** पद पर नियुक्ति हेतु कला/विज्ञान/वाणिज्य में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ संगीत में स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण की अनिवार्य योग्यता, यथा- प्राचीन कला केन्द्र, चंडीगढ़ से न्यूनतम् 300 पूर्णांक, पंचम वर्ष, संगीत विशारद

अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से न्यूनतम् 500 पूर्णांक, षष्ठम् वर्ष, संगीत प्रभाकर उत्तीर्ण की न्यूनतम् 55 प्रतिशत प्राप्तांक की योग्यता एवं सक्षम स्तर का **CTET/JTET,** न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की योग्यता अनिवार्य होगी।

5. (ख) प्रतियोगिता परीक्षा एवं मेधा सूची -

(i) सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/ सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र में से अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के स्तर के अनुरूप अलग-अलग जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो निम्नवत् होगी:-

(a) (क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान की परीक्षा (200 प्रश्नों की)। - 200 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- सह-अध्यापक,स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के रूप में नियुक्ति का विषय (200 प्रश्नों की)। - 400 अंक

अथवा

प्रश्न पत्र (2)- सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित के रूप में नियुक्ति का विषय (200 प्रश्नों की)। - 400 अंक

(ग) प्रश्न पत्र (3)- कम्प्यूटर ज्ञान एवं मानसिक अभिरुचि ज्ञान की परीक्षा(200 प्रश्नों की)। - 200 अंक

(b) उक्त तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु प्रश्न पत्र (1) एवं (3), समान एवं स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2), की नियुक्ति के स्तर - **स्नातकोत्तर अथवा स्नातक स्तर** का होगा। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ब) प्रश्न पत्र (1) एवं (3) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 (0.25) ऋणात्मक अंक तथा प्रश्न पत्र (2) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 (0.33) ऋणात्मक अंक देय होंगे।

(d) प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु अलग-अलग मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) में योग के रूप में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

(e) **अंतर्वीक्षा -**

सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित रिक्तियों के दस गुणा अभ्यर्थियों को 50 अंकों की अंतर्वीक्षा हेतु अलग-अलग आमंत्रित किया जाएगा तथा जांच परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंक के योग के

आधार पर प्रत्येक विषय एवं कोटि के अनुरूप अधिकतम् 1.50 गुणा अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची तैयार की जाएगी।

(ii) **मेधा सूची -**

यह सूची सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी, किन्तु कोई भी नियुक्ति सशर्त्त होगी कि संबंधित पद पर परिवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने सहित कम से कम 05 वर्षों की न्यूनतम् सेवा पूर्ण करनी होगी। नियुक्ति एवं पदस्थापन के पश्चात् यह सूची एक माह में स्वतः समाप्त हो जाएगी।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान *(equal marks)* रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा/स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

(iii) **आयुः-**

सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिस पंचांग वर्ष में अधिचायना आयोग को भेजी जाएगी, उस वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम् आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्षो की होगी। परन्तु यह कि आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा, जो निम्रांकित है:-

क्र.	**कोटि**	**अधिकतम आयु सीमा**	**विकलांगो के लिए**
1.	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (महिला))	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/ महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

वर्त्तमान में कार्यरत, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित, जिनके अनुबंध की अवधि शेष है, को उनकी आरक्षण कोटि के अंतर्गत उपबंधित अधिकतम् उम्र सीमा

के सापेक्ष, उनके द्वारा अनुबंध के आधार पर दी गयी कुल सेवा अवधि के अतिरिक्त और 10 वर्ष जोड़ते हुए उन्हें अधिकतम् उम्र सीमा की छूट, संबंधित पद के विरुद्ध नयी नियुक्ति हेतु आवेदन के क्रम में दी जा सकती है, जो केवल प्रथम संव्यवहार के लिए होगी।

(iv) **राज्यस्तरीय स्थापना समिति** - आयोग से प्राप्त मेधा सूची के आधार पर प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों की जाँच करते हुए रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु राज्यस्तरीय स्थापना समिति होगी, जिसके निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-सह-सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय स्थापना समिति नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे। राज्यस्तरीय स्थापना समिति ही नियुक्त प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर प्रोन्नति, वेतनमान् उत्क्रमण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य समरूप मामले में निर्णय हेतु अधिकृत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे -

(i)	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राधिकृत अपर सचिव अथवा समकक्ष पदाधिकारी	-	पदेन अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	-	पदेन सदस्य सचिव
(ii)	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी)	-	पदेन सदस्य
(iii)	वरीयतम क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक	-	पदेन सदस्य
(iv)	विभागीय सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति /जन जाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	-	सदस्य
(v)	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के मनोनीत पदाधिकारी	-	सदस्य

(v) **नियुक्ति की प्रक्रिया**

(i) प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं समूह-ग (मूल कोटि) की नियुक्ति में आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की अद्यतन नीति प्रभावी होगी।

(ii) प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं समूह-ग (मूल कोटि) पदों पर नियुक्ति तिथि से 02 वर्षों की परिवीक्षाधीन अवधि/सेवा होगी। प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर सफलतापूर्वक परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण करने के उपरांत सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची का आदेश प्राप्त कर सेवा संपुष्ट की जाएगी तथा समूह-ग (मूल कोटि) पदों पर सफलतापूर्वक परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण करने के उपरांत विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति के सदस्य सचिव, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा सेवा सेवा संपुष्ट की जाएगी।

(iii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में पूर्व से नियुक्त व्यक्ति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी। नियुक्ति के उपरांत सेवाकाल में अनुमान्य नियमानुकूल वेतनमान् की सुविधा देय होगी।

(iv) **कर्त्तव्य -**

सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित हेतु विषय का शिक्षण कार्य एवं पब्लिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा संपादित किये जाने वाले अन्य सभी शैक्षणिक तथा सह-शैक्षणिक कार्यो, यथा - संगीत, नृत्य, वादन, गायन, खेल-कूद, एन.सी.सी., पी.टी., गाईडिंग, शारीरिक व्यायाम, योगाभ्यास, नाटक, वाद-विवाद, शैक्षणिक परिभ्रमण, आदि में से कम से कम दो में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा प्राचार्य द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सभी कार्यो को कुशलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

अध्याय-6

6. **शिक्षकेत्तर कर्मी (समूह-ग) -**

(क) समूह-ग (मूल कोटि) के शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा एतदर्थ समय-समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों/संकल्पों के आधार पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से की जाएगी। समूह-ग (मूल कोटि) के शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकार प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय होंगे।

(ख) नियुक्ति की पद अनुसार न्यूनतम् योग्यता निम्नांकित होगी -

(i) **अनुदेशक -**

(a) **शारीरिक शिक्षा अनुदेशक** -

अनिवार्य योग्यता -

कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं शारीरिक शिक्षा में 02 वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा।

(b) **संगीत (नृत्य) अनुदेशक** -

अनिवार्य योग्यता -

इंटरमीडिएट तथा भरतनाट्यम् या कत्थक में से किन्हीं एक में न्यूनतम् 04 वर्षो के पाठ्यक्रम का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता की डिग्री या डिप्लोमा अथवा बी.ए. संगीत (नृत्य सहित)।

(c) **कृषि अनुदेशक -**

अनिवार्य योग्यता - 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एस.सी. में कृषि विषय सहित।

(d) **कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक** -

अनिवार्य योग्यता-

कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालय (विश्वविद्यालय) से B.E/B.Tech उत्तीर्ण अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में

M.Sc./M.C.A./B.Sc./B.C.A. उत्तीर्ण की अनिवार्य योग्यता आवश्यक होगी। उन्हें वर्ग-06 से वर्ग-12 तक कम्प्यूटर शिक्षा हेतु प्रयुक्त आवश्यक हार्डवेयर/साफ्टवेयर के संचालन में सक्षम/प्रवीण होना चाहिए।

वांछित योग्यता-

हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कम्प्यूटर संचालन/प्रयोग की जानकारी प्रदान किये जाने की योग्यता तथा इससे संबंधित प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(ii) **सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष** -

अनिवार्य योग्यता-

न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से *Library Science* में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण।

वांछित योग्यता-

हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में संप्रेषण की क्षमता एवं लोकप्रिय कम्प्यूटर साफ्टवेयर की उपयोग/कार्यपरक जानकारी से संबंधित प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(iii) **वार्डन** -

अनिवार्य योग्यता-

बी.ए., बी.एस.सी. अथवा बी.कॉम के साथ बी.एड./समतुल्य शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री अथवा डिप्लोमा।

वांछित योग्यता-

संगीत, कला, गाईड, खेल-कूद, योगाभ्यास, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में से किन्हीं दो में प्रशिक्षित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(iv) **प्रयोगशाला प्रदर्शक**

(भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा कम्प्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला के लिए):

अनिवार्य योग्यता-

बी.एस.सी. द्वितीय श्रेणी 55 प्रतिशत अंकों के साथ। बी.एस.सी. में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान में कोई दो विषय अनिवार्य, जिनमें नियुक्ति के विषय की मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई कम से कम 03 वर्ष पूर्ण की गयी हो।

कम्प्यूटर विज्ञान के प्रयोगशाला प्रदर्शक हेतु न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालय (विश्वविद्यालय) से

B.E/B.Tech उत्तीर्ण अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में M.Sc./M.C.A./B.Sc./B.C.A. उत्तीर्ण में से कोई एक योग्यता अनिवार्य होगी।

वांछित योग्यता-

एन.सी.सी. तथा खेल-कूद में से किन्हीं एक में योग्यता प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(v) **पाकशाला प्रबंधक -**

अनिवार्य योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी अथवा पाक कला में डिग्री या डिप्लोमा।

वांछित योग्यता -

स्वच्छता मानकों, इन्वेंट्री प्रबंधन एवं वित्तीय रिपोर्टों को संभालने की क्षमता का ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस का कार्यसाधक ज्ञान।

(vi) **प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल** -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, स्नातक कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ तथा हिन्दी एवं इंग्लिश में न्यूनतम् 45 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टंकण का मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र धारण अपेक्षित।

(vii) **आशुटंकक (प्राचार्य हेतु) -**

अनिवार्य योग्यता -

न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण एवं हिन्दी तथा इंग्लिश में न्यूनतम् 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलेखन का मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा हिन्दी तथा इंग्लिश में न्यूनतम् 45 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टंकण का मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र धारण अपेक्षित।

वांछित योग्यता-

लोकप्रिय कम्प्यूटर साफ्टवेयर, एम.एस.ऑफिस, एक्सेल, पावर प्वाइंट का उपयोग/कार्यपरक जानकारी/प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(viii) **भंडारी -**

अनिवार्य योग्यता -

न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ कला/विज्ञान/वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण एवं लोकप्रिय कम्प्यूटर साफ्टवेयर, एम.एस.ऑफिस, एक्सेल, टैली का उपयोग/ कार्यपरक जानकारी/प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(ix) **रोकड़पाल/लिपिक/लेखा लिपिक/टंकक/पत्राचार लिपिक-**

अनिवार्य योग्यता-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी एवं इंग्लिश में कम से कम 45 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य अर्हत्ता होगी।

वांछित योग्यता-

कम्प्यूटर चालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछित योग्यता होगी।

(x) समूह "ग" एवं "घ" के अन्य सभी स्वीकृत पद, जिनके संबंध में अनिवार्य योग्यता का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, जो सीधी नियुक्ति/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति/ बाह्य स्रोत से सेवा लिये जाने हेतु निर्दिष्ट हैं, उनकी वही अनिवार्य योग्यता होगी, जो राज्य सरकार द्वारा उस/समरूप पद हेतु सुसंगत नियमावली अन्तर्गत प्रावधानित है।

(ग) **आयु:**

शिक्षकेत्तर कर्मी, समूह "ग" पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिस पंचांग वर्ष में विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम् आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्षो की होगी। परन्तु यह कि आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा, जो निम्नांकित है:-

क्र.	**कोटि**	**अधिकतम आयु सीमा**	**विकलांगों के लिए**
1.	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (महिला))	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/ महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

वर्त्तमान में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मी, जिनके अनुबंध की अवधि शेष है, को उनकी आरक्षण कोटि के अंतर्गत उपबंधित अधिकतम् उम्र सीमा के सापेक्ष, उनके द्वारा अनुबंध के आधार पर दी

गयी कुल सेवा अवधि के अतिरिक्त और 10 वर्ष जोड़ते हुए उन्हें अधिकतम् उम्र सीमा की छूट, संबंधित पद के विरुद्ध नयी नियुक्ति हेतु आवेदन के क्रम में प्रथम संव्यवहार में दी जा सकती है।

(घ) **विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति**:-

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची के आधार पर समूह "ग" (मूल कोटि) के शिक्षकेत्तर कर्मी, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों की जाँच करते हुए रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति होगी, जिसके निर्णय के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे। विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति ही उक्त नियुक्त कर्मियों की प्रोन्नति, वेतनमान् उत्क्रमण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य समरूप मामले में निर्णय हेतु अधिकृत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे -

(i)	क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमण्डल, पलामू	-	अध्यक्ष
(ii)	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	-	सदस्य सचिव
(iii)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/ जनजाति के एक राजपत्रित पदाधिकारी	-	सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार	-	सदस्य

अध्याय-7

7. **शिक्षकेत्तर कर्मी (समूह-घ)** -

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत समूह (घ) के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा- जीप चालक, पलंबर, बिजली मिस्त्री, दफ्तरी, रसोईया, ट्रेजरी सरकार, माली, सिक रूम सेविका, आदेशपाल, चैकीदार/दरवान, रसोईया मजदूर, आश्रम सेविका, स्वीपर, पुस्तकालय सेविका एवं प्रयोगशाला रक्षक की आवश्यकता की पूर्ति बाह्य स्रोत के आधार पर की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा बाह्य स्रोत पर रखे जाने वाले कर्मियों हेतु जारी की गयी अद्यतन मार्गदर्शिका को दृष्टिपथ रखते हुए इन कर्मियों को रखे जाने हेतु विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति के अनुमोदन से आउटसोर्स/संविदा पर सेवा देने हेतु एजेंसी का चयन किया जायेगा तथा उसी के आधार पर इन कर्मियों को रखा जायेगा। इन कर्मियों पर इस नियमावली के अन्य कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

8. **अन्यान्य**

(i) इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय सम्वर्ग में राज्यस्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।

(ii) इस नियमावली के नियम में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सेवा संहिता, झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियमावली, 2016 (समय समय पर यथा संशोधित) एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सुसंगत प्रावधानों के तहत् किया जा सकेगा।

(iii) इस नियमावली के नियम- 3 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, कॉरनटाईन लीव, उपार्जित अवकाश, रूपांतरित अवकाश, अर्द्ध वैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश, झारखण्ड सेवा संहिता एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के तहत देय होगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेतु अवकाश स्वीकृति हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार ही इस नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत कर सकेगी।

(iv) इस नियमावली के तहत नियुक्त प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित, सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (समूह-ग) की वेतन वृद्धि के वही नियम होंगे, जो झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश में उल्लेखित हो।

(v) प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित की गोपनीय चरित्रपुस्ति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा लिखी जायेगी। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की चरित्र पुस्ति प्राचार्य द्वारा लिखी एवं संधारित की जायेगी, जबकि प्राचार्य द्वारा गोपनीय चरित्र पुस्ति में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित किये जाने के पूर्व सुधार के लिए यथासंभव अवसर प्रदान किया जायेगा।

(vi) प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित का सेवा इतिहास महालेखाकार द्वारा संधारित किया जायेगा। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (समूह-ग) की सेवा पुस्ति विहित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा खोली एवं संधारित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में सेवा पुस्ति का सत्यापन किया जायेगा।

(vii) प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित, प्रशासी पदाधिकारी एवं महिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के आकस्मिक सहित अन्य समरूप अवकाश सरकारी नियमों के आलोक में स्वीकृत एवं संधारित होंगे। उनका अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश, महालेखाकार के अवकाश देयता प्रमाण-पत्र के आधार पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। शिक्षकेत्तर कर्मियों का आकस्मिक अवकाश एवं अर्जित अवकाश आदि प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(9) **प्रकीर्ण**:-

i) नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 के प्रावधान अंतर्गत गठित सामान्य निकाय, **नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026** के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर, उस कठिनाई को दूर करने के लिए समुचित स्पष्टीकरण/निर्णय ले सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या निर्णय, मूल संकल्प/इस अधिसूचना के अंग माने जायेंगे।

ii) उपर्युक्त स्पष्टीकरण/निर्णय को प्रसारित किए जाने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग आदेश/स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेंगे, जिसका अनुपालन करनाआवश्यक होगा।

(10) **निरसन एवं व्यावृति**:-

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026 के प्रभावी होने की तिथि से एतद्विषयक पूर्व में मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या- स स 01/न1-01/ 2010-08, दिनांक-04.02.2012 द्वारा अधिसूचित एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में दिनांक-06.02.2012 को प्रकाशित **शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011**,निरसित माने जाएंगे, परंतु ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित नियमावली द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

(11) विभागीय संलेख ज्ञापांक 637 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा **"नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026"** के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.02.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या - 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमा शंकर सिंह,
सरकार के सचिव ।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

26 फरवरी, 2026

संख्या-13/ने. 06-06/2025/701---

विषय:- राज्य में संचालित नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु स्वीकृत पदों पर सीधी नियुक्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

अविभाजित बिहार राज्य के समय से वर्त्तमान झारखण्ड राज्य की सीमान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट संचालित है। इस विद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है।

2. नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक संचालित होने के कारण, कक्षा 9 से कक्षा 12 हेतु, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 हेतु सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित की नियुक्ति करनी होगी।

3. उक्त आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्राचार्य/उप-प्राचार्य/ सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (कक्षा 9-12) एवं सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6-8) तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्त्तमान में उपलब्ध/नामांतरण उपरांत उपलब्ध पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026 के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन था।

4. प्राचार्य, उप प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (कक्षा 9-12), सह-अध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6-8), अनुदेशकों एवं प्रयोगशाला प्रदर्शकों आदि की नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले सीबी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाले विद्यालय के लिए की जा रही है, अतः उन्हें भाषा संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य को अंग्रेजी माध्यम से पठन-पाठन संपादित करने में दक्ष होना आवश्यक होगा। अतः नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सभी पदों पर

नियुक्ति हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026 के गठन (अधिसूचना प्रति संलग्न) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-24.02.2026 की बैठक में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

उमा शंकर सिंह,
सरकार के सचिव ।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

15 जनवरी, 2026

संख्या 13/ने. 06-09/2025: 118-- दिनांक-15.01.2026नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सतत् अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं उत्कृष्टतम् विद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित किए जाने के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, **नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026** बनाते हैं:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यहनियमावली, **नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026** कही जाएगी।

(ii)इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्यान्तर्गत होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

अध्याय-2

2. **परिभाषाएँ:-** जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में -

(i) **"शीर्षनिकाय"**सेअभिप्रेतहै, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय का शीर्ष निकाय।

(ii) **"सामान्य निकाय"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय का सामान्य निकाय।

(iii)**"कार्यकारिणी समिति"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की कार्यकारिणी समिति।

(iv)**"विद्यालय प्रबंध समिति"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्रबंध समिति।

(v) **"निविदा एवं क्रय समिति"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की बहु-स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति।

(vi)**"अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

(vii) **"प्राचार्य"** से अभिप्रेत है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नियुक्त प्राचार्य।

(viii) **"अभिभावक"** से अभिप्रेत है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के जैविक/वैधिक घोषित माता-पिता।

अध्याय - 3

3. नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सतत् अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं उत्कृष्टतम् विद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित किए जाने के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुए नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन हेतु निम्नांकित 04 स्तरीय निकाय गठित होगी:-

(i) "**शीर्ष निकाय**" (Apex Body) -

1. विद्यालय के राज्य के प्रीमियर विद्यालय के रूप में विकास के संबंध में त्वरित निर्णय एवं कार्रवाई हेतु शीर्ष स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में "**शीर्ष निकाय**" (Apex Body) गठित होगी, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 12 सदस्य होंगे:-

(1) माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार - **पदेन अध्यक्ष,**

(2) माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षाएवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार - **पदेन सदस्य-सह-उपाध्यक्ष,**

(3) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार - **पदेन सदस्य,**

(4) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार - **पदेन सदस्य,**

(5) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार - **पदेन सदस्य,**

(6) प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार - **पदेन सदस्य सचिव,**

(7) प्रधान सचिव/सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार - **पदेन सदस्य,**

(8) प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार - **पदेन सदस्य,**

(9) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय - **पदेन सदस्य,**

(10) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सी.बी.एस.ई. विद्यालय के 01 उत्कृष्ट प्राचार्य, 01 ए.आई./रोबोटिक्स विशेषज्ञ तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 01पूर्ववर्ती छात्र - **राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य।**

शीर्ष निकाय की बैठक में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से अधिकतम् 05विशेषज्ञ सदस्यों/विषय से संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होगा।

2. शीर्ष निकाय द्वारा -

(i) विद्यालयकेसंबंधमेंआवश्यकनीतियोंकेनिर्धारण, यथा - नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों एवं कर्मियों की नियुक्ति हेतु नियमावली के गठन, स्वीकृति एवं अनुमोदन/संशोधन, निर्धारित नीतियों से संबंधित आवश्यक निर्णयों को लागू किए जाने/उनके समयबद्ध अनुपालन के संबंध में की गयी कार्रवाई तथा जहां आवश्यक/अनिवार्य हो, उनके अनुमोदन/सैद्धांतिक सहमति पर विचार किया जाएगा तथा इस संबंध में मार्गनिदेशनिर्गत किए जाने एवं समयरेखा निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी।

(ii) विद्यालय के बुनियादी ढ़ांचे और पाठ्यक्रम के सी.बी.एस.ई. मानकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण, व्यावहारिक शिक्षा के लिए उन्नत लैब, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास एवं उपयोग, वैश्विक मानक ए.आई., प्रयोगशालाओं और मॉडल सुविधाओं के निर्माण तथा छात्र/ छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम और रोजगार के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के प्रयासों एवं इस हेतु की गयी कार्रवाई पर बिंदूवार विचार किया जाएगा।

3. शीर्ष निकाय की वर्ष में कम से कम 01 बार, माह मई-जून में अथवा सुविधानुसार बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 06 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। सामान्यतः आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अत्यंत विशेष स्थितियों में मत विभाजन द्वारा निर्णय की अनुमति होगी। बैठक की तिथि की सूचना कम से कम 01 सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से दी जाएगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

4. शीर्ष निकाय के निर्णयों के समयबद्ध अनुपालन कराए जाने की जवाबदेही, सामान्य निकाय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की होगी।

(ii) **<u>"सामान्य निकाय"</u>** (General Body) -

1. नेतरहाट आवासीय विद्यालय से संबंधित निर्णयों के त्वरित क्रियान्वयन एवं कार्रवाई की समीक्षा हेतु माननीय विभागीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में **"सामान्य निकाय"** (General Body) का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 15 सदस्य होंगे:-

(1)	माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार -	**पदेन अध्यक्ष,**
(2)	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार -	**पदेन सदस्य-सह-उपाध्यक्ष,**
(3)	प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार -	**पदेन सदस्य सचिव,**
(4)	आयुक्त, पलामू प्रमंडल -	**पदेन सदस्य,**
(5)	उपायुक्त, लातेहार -	**पदेन सदस्य,**
(6)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची -	**पदेन सदस्य,**
(7)	वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा मनोनीत -	**पदेन सदस्य,**

संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून 01 पदाधिकारी

(8) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून 01 पदाधिकारी- **पदेन सदस्य,**

(9) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून 01 पदाधिकारी- **पदेन सदस्य,**

(10) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय - **पदेन सदस्य,**

(11) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सी.बी.एस.ई. विद्यालय के 01 उत्कृष्ट प्राचार्य, 01 ए.आई./रोबोटिक्स विशेषज्ञ, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 01 पूर्ववर्ती छात्र तथा 02 अभिभावक - **सामान्य निकाय द्वारा मनोनीत सदस्य।**

सामान्य निकाय की बैठक में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से अधिकतम् 05विशेषज्ञ/आमंत्रित सदस्यों को विचार-विमर्श/सुझाव हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होगा।

2. सामान्य निकाय द्वारा -

(i) विद्यालयकेसंबंधमेंअन्यआवश्यकनीतियोंकेनिर्धारण, उनसे संबंधित आवश्यक निर्णयों को लागू किए जाने, उनके समयबद्ध अनुपालन के संबंध में की गयी कार्रवाई के अनुमोदन/सैद्धांतिक सहमति पर विचार किया जाएगा तथा इस संबंध में मार्गनिदेश निर्गत किए जाने एवं समयरेखा निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी।

(ii) विद्यालय के बुनियादी ढ़ांचे और पाठ्यक्रम के सी.बी.एस.ई. मानकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण, व्यावहारिक शिक्षा के लिए उन्नत लैब, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास एवं उपयोग, वैश्विक मानक ए.आई., प्रयोगशालाओं और मॉडल सुविधाओं के निर्माण, छात्र/छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम और रोजगार के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के प्रयासों एवं इस हेतु की गयी कार्रवाई तथा विद्यालय के लेखा के अंकेक्षण के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट/अंकेक्षक की नियुक्ति, उससे प्राप्त लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार तथा प्राप्त आपत्तियों के अनुपालन आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर कृत्त कार्रवाई के संबंध में विस्तृत विचार किया जाएगा एवं जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

3. सामान्य निकाय द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा सभापति का मनोनयन/चयन, राज्य सरकार द्वारा संस्था के सदस्य के रूप में मनोनीत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्व छात्रों से जारी रखा जाएगा। इस हेतु कम से कम 45 दिन पूर्व राज्य के 02 समाचार पत्रों में इच्छा की अभिव्यक्ति/सूचना का प्रकाशन करते हुए इच्छुक पूर्ववर्ती छात्रों, जिनके पास कम से कम 10 वर्षों का प्रशासनिक/शैक्षणिक एवं शोध/प्रबंधन/विज्ञान अथवा कला/समकक्ष क्षेत्र में कार्यानुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट/गणना योग्य योगदान किया गया हो, से ऑनलाईन आवेदन पत्र की मांग की जाएगी, उसकी स्क्रूटनी उपरांत आपत्ति एवं पक्ष की भी मांग की जाएगी तथा सभापति के चयन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

4. सामान्य निकाय की वर्ष में कम से कम 02 बार, माह अगस्त तथा नवम्बर में अथवा सुविधानुसार बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 08 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। सामान्यतः आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अत्यंत विशेष स्थितियों में मत विभाजन द्वारा निर्णय की अनुमति होगी। बैठक की तिथि की सूचना कम से कम 01 सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से दी जाएगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

5. निर्णयों के समयबद्ध अनुपालन की जवाबदेही, विषय अनुरूप, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रांची/उपायुक्त, लातेहार एवं प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय-सह-अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की होगी।

(iii) **"कार्यकारिणी समिति"** (Executive Committee) -

1. निर्णयों के संबंध में त्वरित कार्रवाई तथा समयबद्ध अनुपालन हेतु "कार्यकारिणी समिति" (Executive Committee) का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 12 सदस्य होंगे:-

(1)	सामान्य निकाय द्वारा संस्था के सदस्य के रूप में मनोनीत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्व छात्रों से मनोनीत/चयनित सभापति -	**पदेन अध्यक्ष,**
(2)	विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची द्वारा उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के मनोनीत विभागीय पदाधिकारी -	**पदेन सदस्य,**
(3)	उपायुक्त, लातेहार द्वारा उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता स्तर से अन्यून स्तर के मनोनीत पदाधिकारी -	**पदेन सदस्य,**
(4)	वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के 01 पदाधिकारी -	**पदेन सदस्य,**
(5)	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय -	**पदेन सदस्य सचिव,**
(6)	प्रशासी पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय -	**पदेन सदस्य,**
(7)	लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय -	**पदेन सदस्य,**
(8)	सी.बी.एस.ई. विद्यालय के 01 उत्कृष्ट प्राचार्य, 01 ए.आई./रोबोटिक्स शिक्षक तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 02पूर्ववर्ती छात्र तथा 01 अभिभावक-	**सामान्य निकाय द्वारा मनोनीत सदस्य।**

2. कार्यकारिणी समिति द्वारा -

(i) विद्यालयकेसंबंधमेंनिर्धारितनीतियोंकेअनुपालन, आवश्यक निर्णयों को लागू किए जाने, उनके समयबद्ध अनुपालन के संबंध में की गयी कार्रवाई तथा अनुपालन/प्राप्त लक्ष्य के प्रतिशत के संबंध में विचार किया जाएगा। साथ ही, छूटे हुए/शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु उपायों/कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(ii) कार्यकारिणी समिति द्वारा विद्यालय के सुसंचालन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु प्राचार्य/उप प्राचार्य/सुयोग्य वरीयतम शिक्षक की अध्यक्षता में गठित विभिन्न उप समितियों के कार्य निष्पादन के प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि प्राचार्य, उप प्राचार्य, समिति से संलग्न किए गए सभी जवाबदेह शिक्षकों एवं कर्मियों के वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र में भी प्रत्येक वर्ष की जाएगी।

(iii) कार्यकारिणी समिति, केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/पी.एस.यू./निजी संस्थानों अथवा किसी व्यक्ति से चल/अचल संपदा के रूप में अनुदान/चंदा स्वीकार करने, जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लक्ष्य एवं उद्देष्यों के प्रतिकूल न हो अथवा लोक/निजी संस्थानों अथवा किसी व्यक्ति के साथ करार/संकल्प एवं ऐसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की सहमति से प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के हस्ताक्षर को अनुमोदन/सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर सकेगी।

(iv) कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बजट प्राक्कलनों के सूत्रण एवं अनुमोदन, व्यय की स्वीकृति, निविदा निर्धारण, संविदा विलेखों का लेखन एवं कार्यान्वयन, संस्था की निधियों का निवेश, उनके विक्रय अथवा संपरिवर्त्तन, लेखा एवं अंकेक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर उसे अंतिम रूप देने तथा ऐसे अन्य विषय, जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं दायित्वों के उचित निर्वाहन हेतु आवश्यक हो, हेतु सक्षम प्राधिकार होगी।

3. कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 02 बार, माह अगस्त एवं दिसम्बर में अथवा सुविधानुसार बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 06 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। सामान्यतः आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा, परंतु, अपरिहार्य मामलों में मत विभाजन द्वारा भी निर्णय की अनुमति होगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

4. कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही, बैठक की तिथि से 07 दिनों के अंदर विद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(iv) **"विद्यालय प्रबंध समिति"** (School Management Committee) -

1. विद्यालय के कार्यों के सुचारू एवं त्वरित संपादन तथा निर्णयों के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं समयबद्ध अनुपालन हेतु प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की अध्यक्षता में **"विद्यालय प्रबंध समिति"** (School Management Committee) का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 12 सदस्य होंगे:-

(1) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय - **पदेन अध्यक्ष,**

(2) उपायुक्त, लातेहार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से अन्यून मनोनीत पदाधिकारी - **पदेन सदस्य,**

(3) जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार - **पदेन सदस्य,**

(4) उपायुक्त, लातेहार द्वारा मनोनीत अभियंता,

भवन निर्माण विभाग अथवा अन्य कार्यकारी विभाग/
एजेंसी के मनोनीत अभियंता, लातेहार जिला - **पदेन सदस्य,**

(5) उप प्राचार्य/वरीयतम मनोनीत शिक्षक,
नेतरहाट आवासीय विद्यालय - **पदेन सदस्य सचिव,**

(6) प्रशासी पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय - **पदेन सदस्य,**

(7) लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय - **पदेन सदस्य,**

(8) नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 01शिक्षक, 01पूर्ववर्ती छात्र
तथा 03 अभिभावक - **कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत सदस्य।**

2. विद्यालय प्रबंध समिति की जवाबदेही होगी कि -

(i) वहविद्यालयकेबुनियादीढ़ांचेऔरपाठ्यक्रमकेसी.बी.एस.ई. मानकोंकोध्यानमेंरखतेहुएआधुनिकीकरणसेसंबंधितकार्योंकोससमयएवंगुणवत्तासहितपूर्णकिएजाने, व्यावहारिक शिक्षा के लिए उन्नत लैब, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास एवं उपयोग, छात्र/छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम और रोजगार के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के प्रयासों एवं इस हेतु की गयी कार्रवाई से संबंधित पहलू, छात्र/छात्राओं के बेहतर आवासन, भोजनादि व्यवस्थाओं के संचालन एवं मानक अनुसार वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराए जाने के कार्यों को पूर्ण कराएगी।

(ii) वह, विद्यालय की गुणवत्ता आधारित शैक्षणिक प्रगति, वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन, सामग्रियों के रख-रखाव आदि से संबंधित निर्णयों के अनुपालन एवं संपादन का कार्य सुनिश्चित कराएगी तथा इस हेतु विद्यालय के प्रशासी पदाधिकारी तथा प्राचार्य को समुचित मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएगी, ताकि विद्यालय, कौशल आधारित शिक्षा हेतु एक उच्च गुणवत्ता के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके।

(iii) वह, विद्यालय के सुसंचालन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु प्राचार्य/उप प्राचार्य/सुयोग्य वरीयतम शिक्षक की अध्यक्षता में विभिन्न उप समितियों, यथा - शैक्षणिक प्रगति एवं नवाचार समिति, व्यावसायिक शिक्षण एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण समिति, अनुशासन समिति, नामांकन समिति, मेस समिति, खेल-कूद, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, आदि के गठन एवं उनके कार्य निष्पादन के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराएगी। उक्त समिति में सम्मिलित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम् 02वर्ष होगा एवं बीच में परिवर्तन हेतु कार्यकारिणी समिति का पूर्व/पश्चात् अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त समितियों

3. विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक 02 माह में बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 06 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

4. विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही, बैठक की तिथि से 07 दिनों के अंदर विद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अध्याय - 4

(6) **विद्यालय के सुचारू वित्तीय प्रबंधन के लिए तीन स्तरों पर क्रय सह निविदा समितियों के गठन का प्रस्ताव है:-**

(i) विद्यालय स्तरीयनिविदा एवं क्रय समिति (School Level Tender and Purchase Committee) -

क्र0 सं0	निविदा एवं क्रय समिति	पद का नाम
1.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	अध्यक्ष
2.	उप प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य सचिव
3.	लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य
4.	प्रशासनिक पदाधिकारी,नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य
5.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा नामित दो शिक्षक	सदस्य
6.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा नामित एक आश्रमाध्यक्ष	सदस्य

कार्य:-

. विद्यालय के दैनिक प्रबंधन एवं व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्रियों की निविदा का आमंत्रण, मूल्यांकन एवं क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं आपूर्ति की निगरानी एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करना।

. सामग्रियों के निविदा, क्रय एवं आपूर्ति के क्रम में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रावधान, प्रक्रिया एवं Procurement Manualके सुसंगत प्रावधानों को सुनिश्चित करना।

. यह समिति अधिकतम् 20 लाख रुपये की राशि के अंतर्गत क्रय करने हेतु प्राधिकृत होगी।

(ii) **जिला स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति (District Level Tender and PurchaseCommittee)-**

यह समिति उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में गठित होगी, जो विद्यालय हेतु 50 लाख रुपये के सीमा अधीन एवं वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रावधान, प्रक्रिया एवं Procurement

Manualके सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विद्यालय भवन, उन्नत लैब, छात्रावास, विद्यालय प्रबंधन एवं रख-रखाव हेतु वांछित आवश्यकता की पूर्ति हेतु निविदा के आमंत्रण एवं क्रय हेतु प्राधिकृत होगी।

क्र0 सं0	**जिला स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति**	**पद का नाम**
1.	उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	उप विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
4.	वाणिज्य कर विभाग का एक पदाधिकारी (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
5.	महाप्रबंधक, उद्योग विभाग	सदस्य
6.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य-सचिव
7.	प्रशासनिक पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य
8.	लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य

(iii) **राज्य स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति (State Level Tender and Purchase committee) -**

यह समिति विद्यालय की 50 लाख रुपये से ऊपर की राशि की आधारभूत संरचना के निर्माण, उपस्कर, सामग्री आदि के क्रय करने हेतु प्राधिकृत होगी तथा निर्धारित कार्यों से संबंधित डी.पी.आर. तैयार कराते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार डी.पी.आर. की प्रति संलग्न कर राज्य परियोजना कार्यालय को कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से कार्य कराने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा।

क्र0 सं0	**राज्य स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति**	**पद का नाम**
1.	राज्य परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची	सदस्य
3.	क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल अथवा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव/प्रधान सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी	सदस्य
4.	वित्त विभाग द्वारा नामित विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
5.	उद्योग विभाग द्वारा उप सचिव स्तर से अन्यून नामित पदाधिकारी	सदस्य

6.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य-सचिव
7.	माध्यमिक शिक्षानिदेशक द्वारा उप सचिव स्तर से अन्यून नामित एक पदाधिकारी	सदस्य

अध्याय - 5

(7) **नेतरहाट आवासीय विद्यालय का कोष, संविदा एवं करार तथा लेखा अंकेक्षण, वित्त एवं वार्षिक प्रतिवेदनः-**

(i) "नेतरहाटआवासीयविद्यालयकाकोष", राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान, केन्द्र सरकार सहित राज्य सरकार एवं अन्य विधिमान्य निकायों, सम्मानित व्यक्तियों, संगठनों, दानदाताओं से प्राप्त अनुदान एवं दान से, यदि कोई हो, प्राप्त विविध शुल्क, यदि कोई हो एवं निजी साधनों से प्राप्त आय से निर्मित होगा।

परंतु राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि को झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियमों में विहित प्रावधान अंतर्गत रखा जाएगा तथा इससे इतर राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त बैंक शाखा में रखा जाएगा।

(ii) नेतरहाटआवासीयविद्यालयकीओरसेसभीसंविदाएवंकरार, सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति-सह-प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(iii) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय-सह-अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय के आय-व्यय से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस क्रम में उनके द्वारा सक्षम स्तर से पूर्व अथवा पष्चात् अनुमोदन/सैद्धांतिक स्वीकृति, जैसा भी उपबंधित हो, प्राप्त किया जाएगा।

(iv) वे प्रतिवर्ष, पूर्व निर्धारित तिथि तक, आगामी वर्ष का बजट, विद्यालय प्रबंध समिति एवं कार्यकारिणी समिति से पारित कराते हुए, प्रशासी विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची को समर्पित करेंगे।

(v) विभाग द्वारा, विभागीय बजट में उक्त अनुदान का प्रावधान कराते हुए, स्वीकृत /पारित बजट की संपूर्ण राशि, विद्यालय को सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) विद्यालय की कुल आय, चल-अचल संपत्ति का संपूर्ण उपयोग इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पारदर्शितापूर्वक किया जाएगा तथा वार्षिक अंकेक्षण, निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म एवं राज्य सरकार की एजेंसी, दोनों माध्यमों से कराया जाएगा तथा प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य निकाय अथवा कार्यकारिणी समिति, समुचित कारण उपलब्ध रहने की स्थिति में, अलग से भी विद्यालय के लेखा को किसी भी समय महालेखाकार अथवा अंकेक्षण एजेंसी से कराए जाने हेतु सक्षम होगी।

अध्याय - 6

(8) नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा-06 में नामांकन की प्रक्रिया का निर्धारण:-

(i) नेतरहाटआवासीयविद्यालयमेंछात्र-छात्राओंकेनामांकनहेतुझारखण्डअधिविद्यपरिषद्अथवासामान्यनिकायद्वाराप्राधिकृतएजेंसीके द्वारालीजानेवालीप्रारंभिकपरीक्षाएवंमुख्यपरीक्षा, दोनों में उत्तीर्णता के आधार पर तैयार आरक्षण कोटिवार चयन सूची होगी, जिसमें 33 प्रतिशत स्थान बालिकाओं हेतु कोटिवार क्षैतिज रूप से आरक्षित होगी। वर्षवार/बैचवार, वर्त्तमान सीटों की संख्या अगले 03 वर्षों में 02गुनी तथा 05 वर्षों में 03गुनी किए जाने का लक्ष्य है। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे तथा इस हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम् उत्तीर्णांक एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा विषयों के चयन हेतु अलग से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए निर्णय लिया जाएगा।

(ii) वर्त्तमान में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में 03 आश्रमों का समूह है, जिसमें प्रत्येक में 07 छात्रावासों का समूह है, अर्थात् कुल 21 छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास की वर्त्तमान क्षमता 25 छात्रों की है, जिसे अधिकतम् 50 तक बढ़ाया जा सकता है। नए सिरे से बहुमंजिले छात्रावास भवन का आधुनिक सुविधाओं का समावेश करते हुए निर्माण अपेक्षित है।

अध्याय - 7

(9) **नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों, तृतीय वर्ग कर्मियों एवं अन्य की नियुक्ति हेतु नियमावली के गठन, अनुशासनिक कार्रवाई, आदि से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन:-**

(i) वर्ष2010 के पूर्व, इस विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति विहित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए प्राचार्य द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनोपरांत की जाती थी। विद्यालय में प्राचार्य के 01 पद, चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रशासी पदाधिकारी के 01-01 पद, शिक्षकों के 47 पद, तृतीय वर्ग कर्मियों के 46पद एवं चतुर्थ वर्ग कर्मियों के 92 पद तत्समय स्वीकृत थे। उक्त अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की अंतिम नियुक्ति वर्ष 1997 में तथा तृतीय वर्ग कर्मियों की अंतिम नियुक्ति वर्ष 1990 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर की गयी थी।

(ii) विभागीय अधिसूचना सं. स.स.01/न 1-01/2010-08 दिनांक 04.02.2012 द्वारा नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित नियुक्ति, सेवा शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 को अनुमोदित किया गया था। उक्त अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त नियुक्ति, सेवा शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के अंतर्गत, कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति एवं चयन समिति द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों का अनुबंध के आधार पर वर्त्तमान में नियुक्ति की जाती है।

(iii) वर्त्तमान में इस विद्यालय का शैक्षणिक प्रदर्शन निरंतर ढ़लान पर है, विद्यालय में शिक्षकों के 50प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, वर्ग 10वीं के बाद विज्ञान एवं गणित विषयों के चयन हेतु बहुत ही कम छात्र विद्यालय में टिक पाते हैं, शिक्षकों के प्रदर्शन की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप नहीं है, उनकी नियुक्ति नेतरहाट विद्यालय समिति के सभापति एवं प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर की जाती है, आदि।

(iv) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026 का गठन साथ-साथ प्रक्रियाधीन है।

अध्याय - 8

(10) **प्रकीर्ण:-**

(i) नेतरहाटआवासीयविद्यालयप्रबंधनएवंसंचालननियमावली, 2026 के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर, उस कठिनाई को दूर करने के लिए, सामान्य निकाय, समुचित स्पष्टीकरण/निर्णय ले सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या निर्णय, मूल संकल्प/इस अधिसूचना के अंग माने जायेंगे।

(ii) उपर्युक्त स्पष्टीकरण/निर्णय को प्रसारित किए जाने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, आदेश/स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेंगे, जिसका अनुपालन करना आवश्यक होगा।

(11) **निरसन एवं व्यावृति:-**

इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद्विषयकपूर्व में मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना सं. 01/न 1-01/2010-187 दिनांक 09.11.2010 द्वारा प्रवृत्त नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, 2010 एवं सभी विभागीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम, यथा - संकल्प सं. 01/न 1-01/2004-323 दिनांक 23.10.2009, जिसके द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय को "नेतरहाट विद्यालय समिति" के नाम से एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में परिवर्तित एवं स्थापित किया गया था, प्रतिस्थापित एवं निरसित माने जाएंगे, परंतु इस निरसन के होते हुए भी उल्लिखित विभागीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी।

(12) विभागीय संलेख ज्ञापांक 82 दिनांक 09.01.2026 के द्वारा "नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 09.01.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या - 31 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

उमा शंकर सिंह,
सरकार के सचिव

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

16 मार्च, 2026

संख्या-22/बंदी विविध-10/2024-1108--झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक- 02.03.2026 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षापरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित **कुल-23 (तेईस)** बंदियों को कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र०	कारा का नाम	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	सत्रवाद सं०, धारा एवं न्यायालय का नाम
1	*2*	*3*	*4*
1.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-01)	अन्तोनी कुल्लू, पे० कार्लुस कुल्लू, उम्र लगभग-45 वर्ष ग्राम-खुड़ी कुदर, थाना-टी० टांगर, जिला-सिमडेगा।	सत्रवाद संख्या-69/2010, जी०आर०-195/2010, टी० टांगर थाना काण्ड संख्या-33/2010, धारा-302 IPC & 4 of witch craft Practices Act
2.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-02)	पित्तरूस मड़की, पे० स्व० मार्टिन गड़की, उम्र लगभग-50 वर्ष ग्राम-बधिया, थाना-रनिया, जिला-खूँटी।	सत्रवाद संख्या-290/2007, जी०आर०-66/2007, रनिया थाना काण्ड संख्या-03/2007, धारा-302 भा०द०वि०।
3.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-03)	रिमिश उर्फ रमेश कण्डुलना, पे० स्व० जोहन कण्डुलना, उम्र लगभग-61 वर्ष ग्राम-लमडेगा पाहन टोली, थाना-जलडेगा, जिला-सिमडेगा।	सत्रवाद संख्या-113/2009, जी०आर०-77/2009, जलडेगा थाना काण्ड संख्या-09/2009, धारा-302 भा०द०वि०।
4.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-04)	मुकुन्द कुल्ला, पे० स्व० शीतल कुल्ला, उम्र लगभग-49 वर्ष ग्राम-परबा, थाना-जलडेगा, जिला-सिमडेगा।	सत्रवाद संख्या-93/2008, जी०आर०-127/2008, जलडेगा थाना काण्ड संख्या-11/2008, धारा-302 भा०द०वि०।

5.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-05)	ओड़वान कुन्तिया, पे० मुंगरु कुन्तिया, उम्र लगभग-36 वर्ष ग्राम-ताड़ापाई, थाना-मंझारी, जिला-पश्चिम सिंहभूम।	सत्रवाद संख्या-75/2008, जी०आर०-402/2007, मंझगाँव थाना काण्ड संख्या-31/2007, धारा-302, 34, 201 एवं 379 भा०द०वि०।	
6.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-06)	तेजवा मुण्डा, पे० स्व० कलपर मुण्डा, उम्र लगभग- 47 वर्ष ग्राम-चण्डोर, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी।	सत्रवाद संख्या-343/2008, जी०आर०-612/2007 खूँटी थाना काण्ड संख्या-147/2007, धारा-452, 302/34 भा०द०वि०।	
7.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-08)	हीरालाल यादव, पे० चरकु यादव, उम्र लगभग- 50 वर्ष ग्राम-डुमरडीह छुरीटांगर, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा।	सत्रवाद संख्या-71/2010, जी०आर०-155/2010, सिमडेगा थाना काण्ड संख्या-55/2010, धारा-302 भा०द०वि०	
8.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-10)	एम्बलन डुंगडुंग, पे० स्व० नाहूम डुंगडुंग, उम्र लगभग- 51 वर्ष ग्राम-शिवनाथपुर कोलेबिरा, थाना-कोलेबिरा, जिला-सिमडेगा।	सत्रवाद संख्या-89/2009, जी०आर०-53/2009, कोलेबिरा थाना काण्ड संख्या-07/2009, धारा-302 भा०द०वि०।	
9.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-11)	डब्बू उर्फ कृपा शंकर दूबे, पे० स्व० विद्या शंकर दूबे, उम्र लगभग- 57 वर्ष पता-लोअर वर्धमान कम्पाउण्ड, थाना-लालपुर, जिला-राँची।	सत्रवाद संख्या-745/2009, जी०आर०-2603/1997 लालपुर थाना काण्ड संख्या-74/1997, धारा-302 भा०द०वि०।	
10.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-12)	लोधी उराँव, पे० स्व० सोमरा उराँव, उम्र लगभग- 56 वर्ष ग्राम-लालुगंज, थाना-सदर, जिला-राँची।	सत्रवाद संख्या-223/2002, जी०आर०-1713/2001 सदर थाना काण्ड संख्या-78/2001, धारा-302/34 IPC	
11.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-14)	राजु महतो उर्फ राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, पे० स्व० बुधन महतो, उम्र-54 वर्ष, ग्राम-नईटांड़, थाना-हीरोडीह, जिला-गिरीडीह	सत्रवाद संख्या-507/08 & 137/10, हीरोडीह थाना काण्ड संख्या- 46/08, U/s- 302/34 IPC	
12.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475	नकुल महतो, पे० स्व० बनगाली महतो, उम्र-57 वर्ष, ग्राम-पुरनाडीह, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो	सत्रवाद संख्या- 60/09, पिण्ड्राजोरा थाना काण्ड संख्या-113/08, U/s- 302 IPC	

	of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-15)			
13.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-17)	किशोर हाँसदा, पे० बाबू राम हाँसदा, उम्र- 46 वर्ष लगभग, ग्राम-मुनीपुर, थाना-चन्दनक्यारी, जिला-बोकारो	सत्रवाद संख्या-158/11, चास (मु.) थाना संख्या- 30/11, जी.आर.- 339/11, U/s- 302/201 IPC	कांड
14.	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-19)	अरविन्द रमन, पे०-लक्ष्मी रमन सिन्हा उम्र- 55 वर्ष लगभग पता:- गांगोत्री कॉम्प्लेक्स एफ ब्लॉक, फ्लैट न०-2/4 स्लैग रोड भुईयांडीह, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम।	सत्रवाद संख्या-280/11, जी०आर०- 692/11, सीताराम डेरा थाना काण्ड सं०-31/11, धारा-302 भा०द०वि०।	
15.	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-21)	तुलसी सुई उर्फ कुन्ती सिंकू, पति-नरसिंह सिंकू उम्र- 57 वर्ष लगभग, पता:-सपरमगुटु, टोला-उलिहातु, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-पश्चिम सिंहभूम	सत्रवाद संख्या-114/10, जी०आर०- 160/10, जगन्नाथपुर थाना काण्ड सं०- 16/10, धारा-302 भा०द०वि०।	
16.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-23)	गोधी महतो, पे०-रोहन महतो, उम्र- 52 वर्ष लगभग पता-कुशमहा, थाना-सारठ, जिला-देवघर।	Sarath PS- 142/2008, GR-605/2008 ST-156/2009 US-302/149, 307/149, 148 IPC.	
17.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-24)	सदन पहाड़िया उर्फ मदन मालतो, पे०-स्व० सुकरा मालतो उम्र- 41 वर्ष उर्फ केशो पहाड़िया, पता-डेनापहाड़, थाना-बोरियो (जे०), जिला-साहेबगंज।	Borio (J) PS-60/2011, GR-157/2011, ST-177/2011 US-302 IPC	
18.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-25)	संजय मंडल, पे०-निताय मंडल, उम्र- 47 वर्ष लगभग पता-टेकबथान, थाना-राजमहल, जिला-साहेबगंज।	Rajmahal PS-16/2007, GR-27/2007 ST-80/2007, US-302 IPC & 27 Arms Act.	
19.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-27)	रमेश मंडल, पे०-स्व० लालजी मंडल, उम्र- 43 वर्ष लगभग पता-बैश्यडीह सिंचनी, थाना-सोनारायठाढ़ी, जिला-देवघर।	Sarwan (Sonaraithari) PS- 69/2010, GR-524/2010 ST- 23/2011 US-302/34 IPC	

20.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-28)	परमेश्वर मुर्मू पे०-स्व० मुन्शी मुर्मू उम्र-53 वर्ष लगभग पता-भिलाई, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़।	Maheshpur PS- 02/2001 GR-38/2001 SC-35/2001 US-302/307/34 IPC	
21.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-I (नये वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-29)	मोतीलाल मुर्मू पे०-स्व० मुन्शी मुर्मू उम्र-59 वर्ष लगभग पता-भिलाई, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़।	Maheshpur PS- 02/2001 GR-38/2001 SC-35/2001 US-302/307/34 IPC	
22.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-II (नये वाद U/S-475 of BNSS से अनाच्छादित के क्रमांक-30)	शंकर मांझी उर्फ शंकर भुईयाँ, पे० श्री रामवृक्ष भुईयाँ, उम्र-38 वर्ष लगभग ग्राम-बोरियो (बलवापार), थाना-नरदीगंज, जिला-नवादा (बिहार)	सत्रवाद संख्या-463/13, पुटकी थाना कांड संख्या- 39/13, U/s- 341, 326A, 307 IPC	
23.	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर परिशिष्ट- II (नये वाद U/S-475 of BNSS से अनाच्छादित के क्रमांक-32)	अन्नापूर्णा देवी, पति-चित्तरंजन डे, उम्र-77 वर्ष लगभग पताः-गाँधी टोला, थाना-सदर, जिला-पश्चिम सिंहभूम।	सत्रवाद संख्या-182/10, 221/11, जी०आर०-368/10, सदर थाना काण्ड सं०-53/10, धारा-304-B/34 भा०द०वि०।	

उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व विहित शपथपत्र भरना अनवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 फरवरी, 2026

संख्या-14/विविध-19/2023-583--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों/ आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना सं0-4920, दिनांक-10.08.2015 एवं अधिसूचना सं0-4972, दिनांक-31.10.2023 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों/ आश्रितों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-974, दिनांक-27.02.2025 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित चिन्हित आंदोलनकारियों/ आश्रितों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	चिन्हित आंदोलनकारी/आश्रित का विवरण	चिह्नितीकरण से संबंधित अधिसूचना एवं कंडिका का विवरण	कंडिका में संशोधन करने का आधार	संकल्प सं०-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहत आयोग की अनुशंसा एवं वर्तमान का वर्गीकरण
1.	आवेदक-डोमन राम महतो पिता-स्व० राजेन्द्र प्रसाद महतो ग्राम-चित्तरपुर, मानटाँड़ पोस्ट-साहोबहियार थाना-तोपचाँची प्रखण्ड- तोपचाँची जिला-धनबाद	अधिसूचना सं0-4920 दिनांक-10.08.2015 कण्डिका-2 (अन्य)	1. तोपचाँची थाना काण्ड सं०-119/87 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन पत्र में नाम। 2. जेल की अवधि-01 दिन।	कण्डिका-2 (viii) (a)

2.	आवेदक लाल ज्ञानेन्द्रनाथ शाहदेव पिता-स्व० लाल जितेन्द्रनाथ शाहदेव ग्राम-तोरपा रोड 2. पोस्ट-खूँटी थाना-खूँटी प्रखण्ड-खूँटी जिला-खूँटी	अधिसूचना सं0-4972 दिनांक-31.10.2023 कण्डिका-2 (ix)	1. अनु० वाद सं० एम०-69/89 से संबंधित सत्यापित कारा संसीमन पत्र में नाम। 2 जेल प्रवेश की तिथि-01.03. 1989 3. जेल से मुक्ति की तिथि-01. 03.1989	कण्डिका-2(viii) (a)

4. संबंधित उपायुक्त चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रितों की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के प्रावधानानुसार सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-01.08.2015 की. तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

25 मार्च, 2026

संख्या-22/बंदी विविध-10/2024-1261--झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक-12.03.2026 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षा ोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित कुल-15(पन्द्रह) बंदियों को कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र०	कारा का नाम	सिद्धदोष बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	सत्रवाद सं०, धारा एवं न्यायालय का नाम
1.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-35)	घुरन मुण्डा, पे० नन्द राम मुण्डा, उम्र-46 वर्ष लगभग। ग्राम-हजाम, थाना-धुर्वा, जिला-राँची	सत्रवाद संख्या-726/05, जी०आर०-630/05, धुर्वा थाना काण्ड संख्या-42/05, धारा-147, 148, 427, 452, 302/149 भा०द०वि०
2.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-36)	सुरेश महतो, पे०-डोमन महतो, उम्र-42 वर्ष लगभग। ग्राम-हजाम, थाना-धुर्वा, जिला-राँची	सत्रवाद संख्या-726/05, जी०आर०-630/05, धुर्वा थाना काण्ड संख्या-42/05, धारा-147, 148, 427, 452, 302/149 भा०द०वि०
3.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-37)	मासू कोका महतो, पे०- स्व० शिव नाथ महतो, उम्र-54 वर्ष लगभग। ग्राम-हजाम, थाना-धुर्वा, जिला-राँची	सत्रवाद संख्या-726/05, जी०आर०-630/05, धुर्वा थाना काण्ड संख्या-42/05, धारा-147, 148, 427, 452, 302/149 भा०द०वि०
4.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-38)	नवीन टेटे, पे०- मानुएल टेटे, उम्र-43 वर्ष लगभग। ग्राम-देवबहार केराटोली, थाना-टी० टांगर, जिला-सिमडेगा	सत्रवाद संख्या-100/05, जी०आर०-247/05, टी० टांगर थाना कांड संख्या-37/05; धारा-302 भा०द०वि०
5.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-39)	रामलाल उराँव, पे०- स्व० पीलई उराँव, उम्र-59 वर्ष लगभग। ग्राम-अलौदी गोसाई टोली, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा।	सत्रवाद संख्या-106/2006 जी०आर०-26/2006 सेन्हा थाना काण्ड संख्या-04/2006, धारा-302 भा०द०वि०
6.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-40)	तुराम लागुरी उर्फ छोटा सेठी, पे०-स्व० गोनो लागुरी, उम्र-38 वर्ष लगभग। ग्राम-कोन्दुआ, थाना-टोन्टो, जिला-पश्चिमी सिंहभूम।	सत्रवाद संख्या-238/2007, जी०आर०-376/2007, टोन्टो थाना काण्ड संख्या-11/2007, धारा-302 भा०द०वि०

7.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-46)	महेश्वर साव, पे०- होरिल साव, उम्र-44 वर्ष, ग्राम-बेलतू, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग।	सत्रवाद संख्या-188/05, केरेडारी थाना कांड संख्या-21/01, जी.आर.- 874/01, धारा-302/149, 436/149, 452/149, 342/149, 120'B IPC
8.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-47)	विरेन्द्र राम उर्फ विरोधी राम, पे०- जामुन राम उम्र-48 वर्ष, ग्राम-बेलतू, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग।	सत्रवाद संख्या-40A/02, 234/04, 380/04, केरेडारी थाना कांड संख्या-21/01, धारा- 302/34, 120'B, 436/34, 452/34 IPC & 27 Arms Act
9.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-52)	प्रभाष कुमार सिंह, पे०- दुर्गा प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, ग्राम-महुआार, थाना-हरला, जिला-बोकारो, ग्राम-बसंती मोड़, थाना- हरला, जिला-बोकारो।	सत्रवाद संख्या-15/95, हरला थाना काण्ड संख्या-10/93, G.R.- 105/93, U/s- 302 IPC
10.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-53)	बबुआ पाण्डेय, पे० विष्णुदेव पाण्डेय, उम्र-43 वर्ष, ग्राम-ऊपर बाजार गोविन्दपुर (नियर महाराजा सिनेमा हॉल) थाना-गोविन्दपुर, जिला- धनबाद।	सत्रवाद संख्या-53/08, गोविन्दपुर थाना काण्ड संख्या-74/07, जी.आर-915/07 U/s- 302 /149 IPC
11.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-60)	विलियम मरांडी उर्फ नेपोलियन, पे० बासुदेव मरांडी, उम्र लगभग 47 वर्ष, ग्राम-खोड़ासारो, थाना+जिला-जामताड़ा।	Case- 01- Special case- 04/04(P), Gua Ps- 17/04, U/s- 3(2) (a) of Pota act & 302/34 IPC Case- 02- Special case- 104/02(P), Manoharpur Ps- 57/02, U/s- 3(2) (a) of Pota act & 302/34, 307/34 IPC
12.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-63)	उत्तम कुमार शर्मा उर्फ उत्तम शर्मा, पे०-मानिक शर्मा उम्र-49 वर्ष लगभग बढ़ईटोला जरमुण्डी, दुमका।	Jarmundi PS-38/2006 GR-348/2006 SC-151/2006 U/S- 302 IPC
13.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-64)	विनोद कुमार महाराज, पे०-मनोहर महाराज उम्र-52 वर्ष लगभग पता-जमालपुर पूर्वी कॉलोनी नयागाँव, थाना-पूर्वी कॉलोनी जमालपुर, जिला-मुंगेर (बिहार)।	Dumka (T) PS- 217/2007 GR-1048/2007 ST-27/2008 U/S-364(A) IPC
14.	केन्द्रीय कारा, दुमका परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-66)	सलाउद्दीन अंसारी, पे०-नूर मोहम्मद उम्र-45 वर्ष लगभग पता-ललघुटूवा, थाना-ललमटिया जिला-गोड्डा।	Boarijore (Lalmatia) PS-11/2010, GR-134/2010, ST- 186/2010 US-302, 307 IPC & 3 Expl. Sub. Act

15.	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर परिशिष्ट-III (अस्वीकृत वाद U/S-475 of BNSS से आच्छादित के क्रमांक-69)	सतेन्द्र कुमार बाल्मिकी, उर्फ भोलु, पे०-राम किशुन बाल्मिकी उम्र-43 वर्ष लगभग पता:-ग्राम-एम० एच०-45 डी०बी०सी० कॉलोनी, नीलडीह, थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	सत्रवाद संख्या-255/04, जी०आर०-85/04, टेल्को थाना काण्ड सं०-05/04, धारा-376, 302 भा०द०वि०

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व विहित शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना
26 मार्च,2026

संख्या-06/न्याय-09-29/2025-1956--माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद W.P.(S) No-1948/2025 सतीश कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-23.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक-24.12.2020 से दिनांक-10.04.2023 के मध्य सेवानिवृत्त अभियोजकों के प्रोन्नति पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2013 दिनांक-10.04.2023 द्वारा राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में संकल्प की कंडिका-6 में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

(i) कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति में लगायी गई रोक के फलस्वरूप राज्य के सेवा/संवर्गों में सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारीगण जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य (संबंधित सेवाशर्त नियमावली में प्रावधानित सभी शर्तों यथा वरीयता, आरक्षण उपबंध, कालावधि आदि को पूर्ण करते हों) थे एवं प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाले पद की तत्समय उपलब्धता थी, तो उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रोन्नति हेतु योग्य होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सभी आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान किया जाय।

(ii) यह आदेश कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति में लगायी गई रोक की तिथि (24.12.2020) से इस आदेश के निर्गत होने के मध्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में लागू होगी।

3. उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक-24.12.2020 से दिनांक-10.04.2023 के मध्य झारखण्ड अभियोजन सेवा से सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारी जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य हैं, उनकी वरीयता क्रमानुसार लोक अभियोजक कोटि (पी०बी०-III, पे० बैण्ड रू०-15600-39100, ग्रेड पे०-रू० 7600 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया।

4. झारखण्ड अभियोजन सेवा के लोक अभियोजक कोटि में उपलब्ध तिथिवार रिक्ति की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०	**लोक अभियोजक कोटि में उपलब्ध रिक्ति की तिथि**	**आरक्षण कोटिवार रिक्ति**		
1	***2***	***3***		
1	24.12.2020	अना०-07	अ०ज०जा०-00	अ०जा०-01
2	01.01.2021	अना०-01	अ०ज०जा०-00	अ०जा०-00
3	01.02.2021	अना०-00	अ०ज०जा०-01	अ०जा०-00
4	01.03.2021	अना०-01	अ०ज०जा०-01 (पूर्व से)	अ०जा०-00
5	30.04.2021	अना०-01	अ०ज०जा०-01 (पूर्व से)	अ०जा०-00
6	01.05.2021	अना०-01	अ०ज०जा०-01 (पूर्व से)	अ०जा०-00
7	01.09.2021	अना०-01	अ०ज०जा०-01 (पूर्व से)	अ०जा०-00
8	01.10.2021	अना०-01	अ०ज०जा०-01 (पूर्व से)	अ०जा०-00
9	01.01.2022	अना०-02	अ०ज०जा०-01 (पूर्व से) + 02	अ०जा०-00
10	01.04.2022	अना०-01	अ०ज०जा०-03 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
11	01.07.2022	अना०-01	अ०ज०जा०-04 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
12	01.12.2022	अना०-00	अ०ज०जा०-05 (पूर्व से)	अ०जा०-01

5. विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त झारखण्ड अभियोजन से सेवानिवृत्त अपर लोक अभियोजकों के निम्नांकित पदाधिकारियों को लोक अभियोजक कोटि (पी०बी०-III, पे०. बैण्ड रू०-15600-39100, ग्रेड पे०- रू० 7600 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में स्तम्भ-08 में अंकित तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से सभी वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	**वरीयता क्र०**	**सेवानिवृत्त अपर लोक अभियोजक का नाम**	**पदस्थापन**	**आरक्षण कोटि**	**जन्म तिथि/से०नि० तिथि**	**अपर लोक अभियोजक कोटि में प्रोन्नति की तिथि**	**लोक अभियोजक कोटि में प्रोन्नति की देय तिथि**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	58	श्री अवधेश कुमार सिंह	जमशेदपुर	अनारक्षित	05.03.62 / 31.03.22	08.09.2012	24.12.2020
2	59	श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी	हजारीबाग	अनारक्षित	30.09.62 / 30.09.22	08.09.2012	24.12.2020
3	61	श्री सुशील कुमार शुक्ला	रामगढ़	अनारक्षित	31.08.62 / 31.08.22	08.09.2012	24.12.2020
4	66	श्री दिनेश कुमार ओझा	दुमका	अनारक्षित	01.10.61 / 30.09.21	08.09.2012	24.12.2020
5	67	श्री अनिल कुमार जायसवाल	अभि०निदे० राँची	अनारक्षित	01.01.62 / 31.12.21	08.09.2012	24.12.2020
6	72	श्री संजय कुमार झा	बोकारो	अनारक्षित	05.02.62 / 28.02.22	08.09.2012	24.12.2020
7	74	श्री संजय सिन्हा	घाटशिला	अनारक्षित	20.05.62 / 31.05.22	08.09.2012	24.12.2020
8	75	श्री संजय कुमार सिंह	तेनुघाट	अनारक्षित	05.07.62 / 31.07.22	08.09.2012	01.01.2021
9	81	श्री मनोज कुमार	हजारीबाग	अनारक्षित	22.08.61 / 31.08.21	08.09.2012	01.03.2021
10	87	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा	देवघर प्रति०दुमका	अनारक्षित	05.04.61 / 30.04.21	08.09.2012	30.04.2021
11	90	श्री अजय कुमार मंडल	हजारीबाग	अनारक्षित	04.08.61 / 31.08.21	08.09.2012	01.05.2021
12	101	श्री चन्द्रभूषण प्रसाद	बोकारो	अ०जा०	04.06.62 / 30.06.22	08.09.2012	24.12.2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

भाग-9-ख

प्रकाशनार्थ सर्वसाधारण सूचना

*****सूचना*****

"झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र में नाम परिवर्तन से संबन्धित विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए कोई कानूनी उत्तरदायित्व स्वीकार नही किया जाता है। नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति ही इसके कानूनी परिणामों और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा"।

मै, KAMAL MUNDA, LAXMI MUNDA अन्य नाम KUMARI LAXMI MUNDA का पिता, शपथ पत्र संख्या–912 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री LAXMI MUNDA के नाम से जानी जाएगी ।

LAXMI MUNDA एवं KUMARI LAXMI MUNDA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- DAMI KATHAL TOLA DAMI, TAIMARA, DIST.- BUNDU, JHARKHAND). (Mob No.-9523994363)

मै, जीतेन्द्र यादव, अनन्या कुमारी अन्य नाम अंजना कुमारी का पिता, शपथ पत्र संख्या–5092 के आलोक में घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री अनन्या कुमारी के नाम से जानी जाएगी ।

अनन्या कुमारी एवं अंजना कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- TARIYA, P.O.+P.S.-TARHASI, DIST.- PALAMU, JHARKHAND). (Mob No.-9622456414)

मै, NEERAJ KUMAR SAHU, ISHIKA SAHU अन्य नाम ISHIKA RAJ का माता, शपथ पत्र संख्या–1420 के आलोक में घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री ISHIKA SAHU के नाम से जानी जाएगी ।

ISHIKA SAHU एवं ISHIKA RAJ दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- JYOTI SANGAM LANE, MASZID LANE, UPPER BAZAR RANCHI G.P.O., P.O.-RANCHI G.P.O. P.S.- KOTWALI, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-7004355721)

मै, MRITUNJAY VISHWAKARMA, AALYA VISHWAKARMA अन्य नाम AALYA का पिता, शपथ पत्र संख्या–617 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री AALYA VISHWAKARMA के नाम से जानी जाएगी ।

AALYA VISHWAKARMA एवं AALYA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- HOUSE NO.-94, KANKE ROAD, MISIRGONDA, P.O.- RANCHI UNIVERSITY, P.S.- GONDA, DIST. - RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.- 7004650303)

मै, BASANT SAHU, ABHISHEK SAHU अन्य AYAN KUMAR SAHU की पिता, शपथ पत्र संख्या–211/01 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरा पुत्र ABHISHEK SAHU के नाम से जाना जाएगा ।

ABHISHEK SAHU एवं AYAN KUMAR SAHU दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- SAKRAULI, P.O.- SAKRAULI, P.S.- SISAI, DIST.- GUMLA, JHARKHAND). (Mob No.-8825126028)

मै, NARAYAN KUMAR, ANANYA KUMARI अन्य ANNAYA KUMARI की पिता, शपथ पत्र संख्या–10474 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री ANANYA KUMARI के नाम से जानी जाएगी ।

ANANYA KUMARI एवं ANNAYA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- SWANG NEW MINES, P.O.- SWANG COLLIERY, P.S.- GOMIA, DIST.- BOKARO, JHARKHAND-829128). (Mob No.-8340376151)

मै, TAHIR HUSSAIN, SABIHA PARWEEN अन्य SABIHA PRAVEEN की पिता, शपथ पत्र संख्या–0565 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री SABIHA PARWEEN के नाम से जानी जाएगी ।

SABIHA PARWEEN एवं SABIHA PRAVEEN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.+ P.O.-GALWATI, P.S.- SDHANWAR, DIST.- GIRIDIH, JHARKHAND). (Mob No.-7352419991)

मै, MD. MURTAZA ANSARI, ABDUL RAQUIB, अन्य नाम BBDUL RAQUIB का पिता, शपथ पत्र संख्या–577 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ABDUL RAQUIB के नाम से जाना जाएगा ।

ABDUL RAQUIB एवं BBDUL RAQUIB दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- MILLAT COLONY, MANI TOLA, HINOO, DORANDA, P,O+ P.S.- DORANDA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834002). (Mob No.-9955159374)

मै, RAJESH SAW, AYUSH KUMAR SAW अन्य नाम RAM KUMAR का पिता, शपथ पत्र संख्या–6408 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AYUSH KUMAR SAW के नाम से जाना जाएगा ।

AYUSH KUMAR SAW एवं RAM KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- FAREDA, P.O.- HAPHUWA, P.S.- CHATRA, DIST.- CHATRA, JHARKHAND-825401). (Mob No.-7667070075)

मै, रंजीत कुमार, अर्पित शर्मा अन्य नाम अर्पित का पिता, शपथ पत्र संख्या–5044 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र अर्पित शर्मा के नाम से जाना जायगा।

अर्पित शर्मा एवं अर्पित दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- NEAR HEAD POST OFFICE OPPOSITE POLICE OFFICER'S MESS, JULU PARK, DIST.- HAZARIBAG, JHARKHAND). (Mob No.-9431168216)

मै, राजू सोनी, YASH RAJ SONI अन्य नाम S RAJ का पिता, शपथ पत्र संख्या–375 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र YASH RAJ SONI के नाम से जाना जायगा।

YASH RAJ SONI एवं S RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.+P.O.+P.S.- MERAL, DIST.- GARHWA, JHARKHAND).

(Mob No.-8340245586)

मै, DIPALI MAHATO, HARSHIT MAHATO अन्य नाम HARSID MAHATO की माता, शपथ पत्र संख्या–1518/15 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्र HARSHIT MAHATO के नाम से जाना जाएगा।

HARSHIT MAHATO एवं HARSID MAHATO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- 380, KACHCHA ROAD, NEAR AAGAN BADI, MUSRI KUDAR, P.O.- BURUDIH, P.S.- GAMHARIA, DIST.- SERAIKELLA-KHARSAWAN, JHARKHAND). (Mob No.-6299198440)

मै, SUMIRA KUJUR, ESHMAIL KUJUR अन्य नाम ISMIL KUJUR की माता, शपथ पत्र संख्या–587 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र ESHMAIL KUJUR के नाम से जाना जायगा।

ESHMAIL KUJUR एवं ISMIL KUJUR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL-PITHRA SARU TOLI, P.O.- PITHRA, P.S.-SIMDEGA, DIST.- SIMDEGA, JHARKHAND-835223). (Mob No.-7091171142)

मै, SANDEEP KUMAR SAHU, PRITAM KUMAR अन्य नाम PRIVATE KUMAR की पिता, शपथ पत्र संख्या–2597 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र PRITAM KUMAR के नाम से जाना जायगा।

PRITAM KUMAR एवं PRIVATE KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- P.O.- BARAMBE, P.S.-MANDAR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND835205). (Mob No.-7091007292)

मै, अर्जुन महतो, PRAKASH KUMAR MAHTO अन्य नाम OM PRAKASH MAHTO का पिता, शपथ पत्र संख्या–B-516 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र PRAKASH KUMAR MAHTO के नाम से जाना जाएगा ।

PRAKASH KUMAR MAHTO एवं OM PRAKASH MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- KARMATONGRI, P.O.- NAGRI, P.S.- NIMIYAGHAT, DIST.- GIRIDIH, JHARKHAND). (Mob No.-6202762632)

मै, NILESH KUMAR, SARTHAK KUMAR KASHYAP अन्य नाम AYUSH KUMAR का पिता, शपथ पत्र संख्या–1361 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SARTHAK KUMAR KASHYAP के नाम से जाना जाएगा ।

SARTHAK KUMAR KASHYAP एवं AYUSH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- PLUTO ¼ AASTHA SPACE TOWN, ROAD NO.-04 DIMNA ROAD MANGO, JAMSHEDPUR, DIST.- EAST SINGHBHUM, JHARKHAND-831012). (Mob No.-9955350256)

मै, NARAN HANSDAH, RAJIV HANSDAH अन्य नाम JUGURAM HANSDAH का पिता, शपथ पत्र संख्या–1492 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र RAJIV HANSDAH के नाम से जाना जाएगा ।

RAJIV HANSDAH एवं JUGURAM HANSDAH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.SHILING, P.O.- TANGRAIN, P.S.- KOWALI, DIST.- EAST SINGHBHUM, JHARKHAND-831002). (Mob No.-9065769416)

मै, RENU TIRKEY अन्य नाम RENY TIRKEY, पिता LATE GANGA TIRKEY, शपथ पत्र संख्या–6361 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं RENU TIRKEY के नाम से जानी जाऊँगी ।

RENU TIRKEY एवं RENY TIRKEY दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- R/O HESAL DAYAL NAGAR ANAND MARG SCHOOL ROAD, P.O.-HEHAL, P.S.- SUKHDEONAGAR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834005). (Mob No.-7488094599)

मै, MANJU DEVI अन्य नाम MANJU DEVYA & BANJU DEVI पति LATE SUKAR & SUKAR RAJWAR, शपथ पत्र संख्या–8239/025 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं MANJU DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

MANJU DEVI एवं MANJU DEVYA & BANJU DEVI तीनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- NEAR HARI MANDIR, VILL.- JAMKUDAR, P.O.- TANGTONA, P.S.- KASMAR, DIST.- BOKARO, JHARKHAND-). (Mob No.-9353028971)

मै, JUSTA EKKA अन्य नाम JAYANTI EKKA पिता RAJESHWAR EKKA, शपथ पत्र संख्या–1910/42 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं JUSTA EKKA के नाम से जानी जाऊँगी ।

JUSTA EKKA एवं JAYANTI EKKA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- JORI, P.O.-JORI, P.S.- BISHUNPUR, DIST.- GUMLA, JHARKHAND-835231). (7061471815)

मै, SAFIA PARWEEN अन्य नाम SOFIA KHAN पति MD. FAIYAZ KHAN, शपथ पत्र संख्या–1510 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं SAFIA PARWEEN के नाम से जानी जाऊँगी ।

SAFIA PARWEEN एवं SOFIA KHAN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- KABRISTAN AREA, MUSLIM BASTI, DHATKIDIH, P.O.-BISTUPUR, DIST-EAST SINGHBHUM, JHARKHAND-82100). (Mob No.-9661156668)

मै, MEENAKSHI RANJAN अन्य नाम S. MEENAKSHI, पिता SATYA NARAYAN SAHU, शपथ पत्र संख्या–5666 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं MEENAKSHI RANJAN के नाम से जानी जाऊँगी ।

MEENAKSHI RANJAN एवं S. MEENAKSHI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- FLAT NO.-405, VAISHNAVI ENCLAVE, H.B. ROAD KOKAR, NEAR HANUMAN DHARMKANTA, P.O.- BARIATU, DIST-RANCHI, JHARKHAND-834009). (Mob No.-9386451762)

मै, मरियाना केरकेट्टा (MARIANA KERKETTA) अन्य नाम मरियाना केरकेट्टा (MARIYANA KERKETTA) पति स्व० तेलेस्फोर टोप्पो (LATE TELESPHOR TOPPO), शपथ पत्र संख्या–4494 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं मरियाना केरकेट्टा (MARIANA KERKETTA) के नाम से जानी जाऊँगी ।

मरियाना केरकेट्टा (MARIANA KERKETTA) एवं मरियाना केरकेट्टा (MARIYANA KERKETTA) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- PUGGU KARAMDIPA, P.O.-ARMAI, P.S.- GUMLA, DIST.- GUMLA, JHARKHAND). (Mob No.-8809015559)

मै, AZMERI PARVEEN अन्य नाम AJMERI NAAZ, पिता FIROJ KHAN शपथ पत्र संख्या–2969 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं AZMERI PARVEEN के नाम से जानी जाऊँगी ।

AZMERI PARVEEN एवं AJMERI NAAZ दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- SAYAL D COLLIARY, VTC URIMARI, P.O.- SAYAL, BARKAGAON, DIST- HAZARIBAGH, JHARKHAND-829125). (Mob No.-6201605399)

मै, ARCHANA DAS अन्य नाम ARCHANA RANI DAS, पति ANIL KUMAR DAS, शपथ पत्र संख्या–5029 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं ARCHANA DAS के नाम से जानी जाऊँगी ।

ARCHANA DAS एवं ARCHANA RANI DAS दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- FLAT NO.- 504 A BLOCK, GANPAT PALACE, DHUMSA TOLI, P.O.- CHUTIA, P.S- CHUTIA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834001). (Mob No.-8987453689)

मै, NANDANI KUMARI अन्य नाम RITU KUMARI, पिता SHRI RAMESH PRAJAPATI शपथ पत्र संख्या–6396 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं NANDANI KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

NANDANI KUMARI एवं RITU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O- ROAD NO.- 06 NEAR KALI TEMPLE, KRISHNAPURI, P.O+ P.S.- DORANDA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-83400). (Mob No.-6202351735)

मै, पंडरी देवी अन्य पूंडरी देवी, पति कमेशर महली, शपथ पत्र संख्या–6216 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं पंडरी देवी के नाम से जानी जाऊँगी।

पंडरी देवी एवं पूंडरी देवी दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL- KRTI DHOUDA, HUTAP, KHALARI, P.O.- KHALARI, P.S.- MAIKLUSKIGANJ, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-829205). (Mob No.-8809097334)

मै, तालाबीटी चौडे अन्य नाम मरागबीटी चौडे, पिता साहेबराम मरांडी, शपथ पत्र संख्या–2959 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं तालाबीटी चौडे के नाम से जाना जाऊँगी ।

तालाबीटी चौडे एवं मरागबीटी चौडे दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- RAJABHITHA, P.O.- RAJABHITHA, P.S.- RAJABHITHA, DIST.- GOODA, JHARKHAND). (Mob No.-9934424803)

मै, जगदेव उराँव (JAGDEO ORAON) अन्य नाम जगदेव उराँव (JAGDEV ORAON, पिता स्व० सुरजू उराँव, शपथ पत्र संख्या–477 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं जगदेव उराँव (JAGDEO ORAON) के नाम से जाना जाऊँगा ।

जगदेव उराँव (JAGDEO ORAON) एवं जगदेव उराँव (JAGDEV ORAON दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.-LAKEYA, P.O.- SISAI, P.S.- SISAI, DIST.- GUMLA, JHARKHAND). (Mob No.-9110964349)

मै, SOBRAN MAHTO अन्य नाम SOBRAM MAHTO, पिता BANDHU MAHTO , शपथ पत्र संख्या–832 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं SOBRAN MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा ।

SOBRAN MAHTO एवं SOBRAM MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- BAIDKARO BASTI, SUNDAY BAZAR, P.O.- SUNDAY BAZAR, P.S.- GANDHI NAGAR, DIST.- BOKARO, JHARKHAND). (Mob No.-6202688115)

मै, SHRAWAN KUMAR PAHAN अन्य नाम SHRAVAN KUMAR PAHAN, पिता LATE INDI PAHAN, शपथ पत्र संख्या–301 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं SHRAWAN KUMAR PAHAN के नाम से जाना जाऊँगा ।

SHRAWAN KUMAR PAHAN एवं SHRAVAN KUMAR PAHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.+P.O.- BELWADAG, P.S.-KHUNTI, DIST.- KHUNTI, JHARKHAND). (Mob No.-9973788715)

मै, DHARMDHIR PRASAD अन्य नाम DHARMVEER PRASAD, पिता LATE SAKHICHAND SAHV, शपथ पत्र संख्या–5768 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं DHARMDHIR PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा ।

DHARMDHIR PRASAD एवं DHARMVEER PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O SERENDAG, TOLA-PIPRADIH, P.S.- SIMARIYA, DIST.- CHATRA, JHARKHAND). (Mob No.-8210145030)

मै, RAJIB RANJAN SINGH अन्य नाम SUDHANSHU KUMAR, पिता DWARIKA GARIAN, शपथ पत्र संख्या–5055 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं RAJIB RANJAN SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।

RAJIB RANJAN SINGH एवं SUDHANSHU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O QTR.- NO.- DT-281, P.O.- DHURWA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834004). (Mob No.-8987691982)

मै, MD OWAIS RAZA अन्य नाम MOHAMMAD WAIS RAZA, पिता MD IMTIYAZ ALAM, शपथ पत्र संख्या–8768, 787 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं MD OWAIS RAZA के नाम से जाना जाऊँगा ।

MD OWAIS RAZA एवं MOHAMMAD WAIS RAZA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- SWANG, NEAR FIVE STAR CLUB, P.O.- SWANG COLLIERY, P.S.- GOMIA, DIST.- BOKARO, JHARKHAND-829128). (Mob No.-7543050041)

मै, LUV KUMAR SINGH अन्य नाम LOW KUMAR SINGH पिता SARAD SINGH शपथ पत्र संख्या–6393 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं LUV KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

LUV KUMAR SINGH एवं LOW KUMAR SINGH, दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- NEAR GRET MEDICAL KANTA TOLI, P.O.- RANCHI , G.P.O., DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834001). (Mob No.-9504183490

मै, MUKESH KUMAR CHOUDHARY अन्य नाम MUKESH CHOUDHARY, पिता KARU CHOUDHARY, शपथ पत्र संख्या–2275 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं MUKESH KUMAR CHOUDHARY के नाम से जाना जाऊँगा।

MUKESH KUMAR CHOUDHARY एवं MUKESH CHOUDHARY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- GOURIA KARMA, POLICE STATION- BARHI, DIST.- HAZARIBAG, JHARKHAND-825405). (Mob No.-6206761303)

मै, MANMASIH TIRKEY अन्य नाम MANMASHI TIRKEY, पिता LATE PRABHU SAHAY TIRKEY, शपथ पत्र संख्या–128 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं MANMASIH TIRKEY के नाम से जाना जाऊँगा।

MANMASIH TIRKEY एवं MANMASHI TIRKEY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- SHUKLA COLONY, NEW AREA INDIRA PATH, HINOO, P.S.-DORANDA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-8210907343)

मै, राजा रिशांत (RAJA RISHANT) अन्य नाम RAJA RISHANT KUMAR RAM, पिता राजेश राम, शपथ पत्र संख्या–5589, 36 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं राजा रिशांत (RAJA RISHANT) के नाम से जाना जाऊँगा।

राजा रिशांत (RAJA RISHANT) एवं RAJA RISHANT KUMAR RAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- BHUSWA, P.O.- DUMRAUN, P.S.-ICHAK, DIST.- HAZARIBAG, JHARKHAND-827010). (Mob No.-9631707440)

मै, MUNIM ZAFAR अन्य नाम MONIPH JAPHAR, पिता MD. USMAN GHANI, शपथ पत्र संख्या–36 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं MUNIM ZAFAR के नाम से जाना जाऊँगा।

MUNIM ZAFAR एवं MONIPH JAPHAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- NASRUDDIN LANE, PAHARI TOLA, RANCHI, P.O.- + P.S.- SUKHDEONAGAR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND-834001). (Mob No.-6202460677)

मै, DIMBESH SHRIVASTAV, SAMRIDHI SHRIVASTAVA अन्य नाम SAMRIDHI का पिता, शपथ पत्र संख्या–822 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SAMRIDHI SHRIVASTAVA के नाम से जानी जाएगी।

SAMRIDHI SHRIVASTAVA एवं SAMRIDHI तीनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- SMRITI, OPPOSITE INDUSTRIAL ESTATE, P.O.- SUDNA, P.S.-DALTONGANJ, DIST.- PALAMU, JHARKHAND-822102). (Mob No.-9955365440)

मै, JANAK KUMAR, JIGYASA KUMARI अन्य नाम BABY ONE का पिता, शपथ पत्र संख्या–149 के आलोक में घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री JIGYASA KUMARI के नाम से जानी जाएगी ।

JIGYASA KUMARI एवं BABY ONE दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- PANDERPALA BHARAT CHOWK, P.O.- B. POLYTECHNIC, P.S.-BANK MORE, DIST.- DHANBAD, JHARKHAND). (Mob No.-9771864038)

मै, राजेश साहू, चांदनी कुमारी (CHANDNI KUMARI) अन्य नाम चादनी कुमारी (CHADANI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र संख्या–159 के आलोक में घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री चांदनी कुमारी (CHANDNI KUMARI) के नाम से जानी जाएगी ।

चांदनी कुमारी (CHANDNI KUMARI) एवं चादनी कुमारी (CHADANI KUMARI) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.+, P.O.-CHANDWE, P.S.- PITHORIA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-7549109278)

मै, RAJESH MAHLI, KASHAK MAHLI अन्य नाम SRISHTY KUMARI MAHLI का पिता, शपथ पत्र संख्या–5663 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री KASHAK MAHLI के नाम से जानी जाएगी ।

KASHAK MAHLI एवं SRISHTY KUMARI MAHLI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- MAHUWA TOLI, P.O+P.S.- NAMKUM, DIST. - RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-7808360652)

मै, प्रकाश कुमार महतो, मंजु कुमारी अन्य रंजु कुमारी की पिता, शपथ पत्र संख्या–6878,6877 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री मंजु कुमारी के नाम से जानी जाएगी ।

मंजु कुमारी एवं रंजु कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- SADMAKALA, P.O.+P.S.- PETARVAR, DIST.- BOKARO, JHARKHAND). (Mob No.-9801461453)

मै, JUEL BAJRA, AMISHA BAJRA अन्य AMISHA DONGO की पिता, शपथ पत्र संख्या–07 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री AMISHA BAJRA के नाम से जानी जाएगी।

AMISHA BAJRA एवं AMISHA DONGO दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- TARUB TOLA BIRDIH, P.O.- MARANGHADA, KHUNTI, P.S.- KHUNTI, DIST.- KHUNTI, JHARKHAND). (Mob No.-6204504955)

मै, JUEL BAJRA, ANISHA BAJRA अन्य ANISHA DONGO की पिता, शपथ पत्र संख्या–247 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री ANISHA BAJRA के नाम से जानी जाएगी।

ANISHA BAJRA एवं ANISHA DONGO दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- TARUB TOLA BIRDIH, P.O.- MARANGHADA, KHUNTI, P.S.- KHUNTI, DIST.- KHUNTI, JHARKHAND). (Mob No.-9204648756)

मै, मनोज कुमार महतो, सुजाता कुमारी अन्य सुजीता कुमारी की पिता, शपथ पत्र संख्या–24 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री सुजाता कुमारी के नाम से जानी जाएगी।

सुजाता कुमारी एवं सुजीता कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.+P.O.- KATAMKULI, P.S.- PITHORIA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-6202129410)

मै, KUMKUM, KAAMINI KUMARI अन्य KAMANI KUMARI की माता, शपथ पत्र संख्या–24 के आलोक में घोषणा करति हूँ की मेरी पुत्री KAAMINI KUMARI के नाम से जानी जाएगी।

KAAMINI KUMARI एवं KAMANI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

(ADDRESS:- DWARIKAPURI NEAR GYMKHANA CLUB, HANUMAN NAGAR, BOOTY MORE, BUTI, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-7324952094)

मै, MANOJ KUMAR SHRIVASTAV, KRISHA SHRIVASTAV अन्य PRIGYA SHRIVASTAVA की पिता, शपथ पत्र संख्या–4,691 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरी पुत्री KRISHA SHRIVASTAV के नाम से जानी जाएगी ।

KRISHA SHRIVASTAV एवं PRIGYA SHRIVASTAVA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- CHERRA, P.O.- BISHUNGARH, DIST.- HAZARIBAGH, JHARKHAND). (Mob No.-9507631000)

मै, SARUPA DEVI, AMRITA KUMARI अन्य PRAMRTA KUMARI की माता, शपथ पत्र संख्या–7 के आलोक में घोषणा करती हूँ की मेरी पुत्री AMRITA KUMARI के नाम से जानी जाएगी ।

AMRITA KUMARI एवं PRAMRTA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- SAYATANR, P.O.- LANDUGDIH, P.S.- SONAHATU, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-7004711850)

मै, RAJU ORAON, ASHVIK ANMOL MINZ अन्य ANMOL MINZ की पिता, शपथ पत्र संख्या–380 के आलोक में घोषणा करता हूँ की पुत्र ASHVIK ANMOL MINZ के नाम से जाना जाएगा ।

ASHVIK ANMOL MINZ एवं ANMOL MINZ दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- KUTIYATU, P.O+ P.S.- NAMKUM, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-9304350957)

मै, DIMBESH SHRIVASTAV, ANSH SHRIVASTAVA अन्य ANSH की पिता, शपथ पत्र संख्या–821,68 के आलोक में घोषणा करता हूँ की मेरा पुत्र ANSH SHRIVASTAVA के नाम से जाना जाएगा ।

ANSH SHRIVASTAVA एवं ANSH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- SMRITI, OPPOSITE INDUSTRIAL ESTATE, P.O.-SUDNA, P.S.- DALTONGANJ, DIST.- PALAMU, JHARKHAND). (Mob No.-9955365440)

मै, UPENDRA PRASAD VERMA, SOURAV KUMAR, अन्य नाम GORAV KUMAR का पिता, शपथ पत्र संख्या–3914, 3913 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SOURAV KUMAR के नाम से जाना जाएगा ।

SOURAV KUMAR एवं GORAV KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- TARATAND, P,O+ P.S.- TARATAND, DIST.- GIRIDIH, JHARKHAND). (Mob No.-9006318616)

मै, मरियम मिंज, ASHISH BAGE अन्य नाम AASLSHBAGE का माता, शपथ पत्र संख्या–8038 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र ASHISH BAGE के नाम से जाना जाएगा।

ASHISH BAGE एवं AASLSHBAGE दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- + P.O.- NARALI, P.S.- KAIRO, DIST.- LOHARDAGA, JHARKHAND). (Mob No.-9931940563)

मै, JAVED ALAM, AARIZ BASHIR अन्य नाम FARAZ BASHIR का पिता, शपथ पत्र संख्या–4826 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AARIZ BASHIR के नाम से जाना जायगा।

AARIZ BASHIR एवं FARAZ BASHIR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- FIRDOUS COLONY, NEAR RANCHI PUBLIC SCHOOL, HINDPIRI, P.S.- HINDPIRI, DIST.- RANCHI. JHARKHAND). (Mob No.-7004794041)

मै, UPENDRA THAKUR, ADARSH THAKUR अन्य नाम ADARSH KUMAR का पिता, शपथ पत्र संख्या–6460 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ADARSH THAKUR के नाम से जाना जायगा।

ADARSH THAKUR एवं ADARSH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- NAYATOLI, SIMLIYA, P.O.- SIMLIA, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-8825218617)

मै, SUBODH KUMAR RAY, SATVIK KUMAR RAY अन्य नाम HIMANSHU KUMAR RAY की पिता, शपथ पत्र संख्या–1788 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र SATVIK KUMAR RAY के नाम से जाना जाएगा ।

SATVIK KUMAR RAY एवं HIMANSHU KUMAR RAY दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- REWALI, P.O.- REWALI, P.S.- KATKAMSANDI, DIST.- HAZARIBAGH, JHARKHAND). (Mob No.-9934325791)

मै, NAZRA PARWEEN, MD. AYAYAM ALAM अन्य नाम MD. AYAAM ALAM की माता, शपथ पत्र संख्या–100 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र MD. AYAYAM ALAM के नाम से जाना जायगा ।

MD. AYAYAM ALAM एवं MD. AYAAM ALAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- QR. NO.- CD-445/2, SECTO-2, P.O.-DHURWA, P.S.- JAGANNATHPUR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-7070456163)

मै, मंगीता कुमारी अन्य नाम राकेश कुमारी, पिता बबुनी यादव, पति जयनंदन कुमार, शपथ पत्र संख्या–1014 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं मंगीता कुमारी के नाम से जानी जाऊँगी ।

मंगीता कुमारी एवं राकेश कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.-KASHIKEWAL, P.O.-BALURI, P.S.- HUNTERGANG, DIST.- CHATRA, JHARKHAND). (Mob No.-9798933083)

मै, CHANDA MAHATAIN अन्य नाम CHANDANA MAHATO पति LATE RAMESH MAHATO, शपथ पत्र संख्या–1504/25 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं CHANDA MAHATAIN के नाम से जानी जाऊँगी ।

CHANDA MAHATAIN एवं CHANDANA MAHATO दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- GOPINATHPUR, P.O.- SINDRI, MUNDATAND, SARAIKELA KHARSAWAN, DIST.- SARAIKELA KHARSAWAN, JHARKHAND). (Mob No.-7564975353)

मै, सपरी देवी (SAPRI DEBI) अन्य नाम SAPARI DEVI पति स्व० नगव, शपथ पत्र संख्या–871 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं सपरी देवी (SAPRI DEBI) के नाम से जानी जाऊँगी ।

सपरी देवी (SAPRI DEBI) एवं SAPARI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL- BARKANGANGO, P.O.- BARKANGANGO, P.S.- BARKATHA, DIST.- HAZARIBAGH, JHARKHAND). (9967907664)

मै, सरास्वती देवी (SARASWATI DEBI) अन्य नाम सरस्वती देवी (SARSWATI DEVI) पति जानकी रबिदास (JANKI RABIDAS), शपथ पत्र संख्या–149 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं सरास्वती देवी (SARASWATI DEBI) के नाम से जानी जाऊँगी ।

सरास्वती देवी (SARASWATI DEBI) एवं सरस्वती देवी (SARSWATI DEVI) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- SATDIHA, P.O.- SARMATAND, P.S.- JAINAGAR, DIST-KODARMA, JHARKHAND). (Mob No.-9892544369)

मै, RAJNI KUJUR अन्य नाम RANJNI KUJUR, पिता ANAND PRAKASH KUJUR, शपथ पत्र संख्या–1875 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं RAJNI KUJUR के नाम से जानी जाऊँगी ।

RAJNI KUJUR एवं RANJNI KUJUR दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL-FASIYA, DHODHRITOLI, P.O.+ DIST-GUMLA, JHARKHAND). (Mob No.-8292794764)

मै, दुर्गा कुमारी अन्य प्रिया कुमारी पिता प्रमोद चौधरी, शपथ पत्र संख्या–2956, 14058 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं दुर्गा कुमारीके नाम से जानी जाऊँगी ।

दुर्गा कुमारी एवं प्रिया कुमारी दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- GERUA, P.O.-DEOGANA, P.S.- MERAL, DIST.- GARHWA, JHARKHAND). (Mob No.-9905084522)

मै, LATIF KHAN अन्य नाम LATIF ANSARI, पिता LATE MOHMUD KHAN, शपथ पत्र संख्या–6418 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं LATIF KHAN के नाम से जाना जाऊँगा।

LATIF KHAN एवं LATIF ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.+ P.O.-BISAHAKHATANGA, P.S.- MANDAR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-7765060635)

मै, SATYAM KUMAR SINGH अन्य नाम SATYA KUMAR SINGH, पिता AJAY SINGH, शपथ पत्र संख्या–29 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं SATYAM KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

SATYAM KUMAR SINGH एवं SATYA KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- 286/B, LINE NO.-10 KASHIDIH SAKCHI, P.O.- SAKCHI KALIMALI JAMSHEDPUR, EAST SINGHBHUM, JHARKHAND). (Mob No.-9229316392)

मै, BHUSHAN SAU अन्य नाम BHARAT BHUSHAN GUPTA, पिता LATE ARJUN SAU, शपथ पत्र संख्या–4912 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं BHUSHAN SAU के नाम से जाना जाऊँगा।

BHUSHAN SAU एवं BHARAT BHUSHAN GUPTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- RATU ROAD, MOUNT MOTAR GALI NO.-6, ALKAPURI, P.O. HEHAL, P.S.-SUKHDEO NAGAR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-9905719917)

मै, ONKAR SHARMA अन्य नाम OMKAR SHARMA, पिता BALESHWAR SHARMA, शपथ पत्र संख्या–3752 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं ONKAR SHARMA के नाम से जाना जाऊँगा।

ONKAR SHARMA एवं OMKAR SHARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- R/O GANDHI NAGAR ROAD, NEAR RAVIDAS MANDIR, SABJI BAGAN, DHANBAD, P.O.- DHANSAR, DIST.- DHANBAD, JHARKHAND (Mob No.-8228888807)

मै, प्रभु दयाल उराँव (PRABHUDAYAL ORAON) अन्य नाम (PRABHU DAYAL ORAON), पिता महड़े उराँव (MAHDAE ORAON), शपथ पत्र संख्या–2590 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं प्रभु दयाल उराँव (PRABHUDAYAL ORAON) के नाम से जाना जाऊँगा।

प्रभु दयाल उराँव (PRABHUDAYAL ORAON) एवं (PRABHU DAYAL ORAON) दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- KAMTA P.O.-MURGU, P.S.- SISAI, DIST.- GUMLA, JHARKHAND). (Mob No.-8084908545)

मै, BIKASH KUMAR अन्य नाम VIKASH KUMAR, पिता LAL BABU SINGH, शपथ पत्र संख्या–98 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं BIKASH KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

BIKASH KUMAR एवं VIKASH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- 300/1C, PARWATI GANGA NIWAS, KANKE ROAD, MISSION STREET, JAWAHAR NAGAR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-9162244450)

मै, RUPLAL MANJHI अन्य नाम RAMLAL MURMU, पिता BANESHWAR MANJHI, शपथ पत्र संख्या–13039 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं RUPLAL MANJHI के नाम से जाना जाऊँगा।

RUPLAL MANJHI एवं RAMLAL MURMU दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- POCHARI, P.O.- POCHARI, P.S.–BARORA, DIST.- DHANBAD, JHARKHAND). (Mob No.-9102146747)

मै, मनोज कुमार गुप्ता, नैतिक गुप्ता अन्य नाम सुधांशु कुमार का पिता, शपथ पत्र संख्या–368 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र नैतिक गुप्ता के नाम से जाना जाएगा।

नैतिक गुप्ता एवं सुधांशु कुमारदोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.+P.O.- BELA, P.S.- CHAUPARAN, DIST.- HAZARIBAGH, JHARKHAND). (Mob No.-7033596864)

मै, ARMAN AHMAD, AMREEN AHMAD अन्य नाम SHIVANI का पिता, शपथ पत्र संख्या–65, 1100 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री AMREEN AHMAD के नाम से जानी जाएगी ।

AMREEN AHMAD एवं SHIVANI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- EDALHATU, ROAD NEAR MASJID UPPER TOLA, P.S.- BARIATU, MORABADI, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-8235067016)

मै, KIRAN KUJUR, SAVIOUR DUNG DUNG अन्य नाम SHOHAM SAVIOUR DUNG DUNG का माता, शपथ पत्र संख्या–1723 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र SAVIOUR DUNG DUNG के नाम से जाना जाएगा ।

SAVIOUR DUNG DUNG एवं SHOHAM SAVIOUR DUNG DUNG दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- BANSARI, P.S.- LOHARDAGA, DIST.- LOHARDAGA, JHARKHAND). (Mob No.-9065330116)

मै, डोली कुमारी (DOLI KUMARI) अन्य नाम डोलिया कुमारी (DOLIYA KUMARI), पिता बासुदेव महतो, शपथ पत्र संख्या–3016 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं डोली कुमारी (DOLI KUMARI) के नाम से जानी जाऊँगी ।

डोली कुमारी (DOLI KUMARI) एवं डोलिया कुमारी (DOLIYA KUMARI), दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- JARIDIH, P.O.- CHALMO BARAMASIYA, P.S.- DUMRI, DIST.- GIRIDIH, JHARKHAND). (Mob No.-9241017972)

मै, SEEMA KUMARI SINGH अन्य नाम SEEMA SINGH, पति MUNENDRA KUMAR SINGH, शपथ पत्र संख्या–827 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं SEEMA KUMARI SINGH के नाम से जानी जाऊँगी ।

SEEMA KUMARI SINGH एवं SEEMA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- FLAT NO.-201 Ss HEIGHT GAS GODOWN RAOD, AMETHIYA NAGAR NEAR UJJAIN MART, KHIJRI, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-9835534882)

मै, बर्हनी देवी (BARHNI DEVI) अन्य नाम बढ़नी देवी (BADANI DEVI), पति जगलाल राम (JAGLAL RAM) शपथ पत्र संख्या–5875 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं बर्हनी देवी (BARHNI DEVI) के नाम से जानी जाऊँगा ।

बर्हनी देवी (BARHNI DEVI) एवं बढ़नी देवी (BADANI DEVI) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- LARA, P.O+P.S.- CHURCHU, DIST.- HAZARIBAG, JHARKHAND). (Mob No.-8809752782)

मै, MITHIL BAGE अन्य नाम MATILDA SURIN, पति MARSAL SURIN शपथ पत्र संख्या–661 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं MITHIL BAGE के नाम से जानी जाऊँगा ।

MITHIL BAGE एवं MATILDA SURIN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O HAJARIBERA, P.O.-LACHRAGARH, P.S.- KOLEBIRA, DIST.- SIMDEGA, JHARKHAND). (Mob No.-7542860202)

मै, SHWETA SINHA अन्य नाम SHWETA MISHRA, पति SIWANSHU KUMAR MISHRA शपथ पत्र संख्या–2192 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं SHWETA SINHA के नाम से जानी जाऊँगा ।

SHWETA SINHA एवं SHWETA MISHRA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O KARAM TOLI ADMINISTRATIVE SERVICES COACHING MORABADI, P.O.-RANCHI, P.S.- LALPUR, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-6202545924)

मै, MD KALIM ANSARI अन्य नाम KALIM ANSARI, पिता MOHAMMAD SOBRATI ANSARI शपथ पत्र संख्या–641 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं MD KALIM ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा ।

MD KALIM ANSARI एवं KALIM ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- R/O VILL.- 48A RORO, P.O.-ANRABARI, P.S.- TORPA, DIST.- KHUNTI, JHARKHAND). (Mob No.-9525468719)

मै, सुधीर कुमार ठाकुर (SUDHIR KUMAR THAKUR) अन्य नाम SUDHIR KUMAR SHARMA, पिता अयोध्या ठाकुर शपथ पत्र संख्या–319 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मैं सुधीर कुमार ठाकुर (SUDHIR KUMAR THAKUR) के नाम से जाना जाऊँगा ।

सुधीर कुमार ठाकुर (SUDHIR KUMAR THAKUR) एवं SUDHIR KUMAR SHARMA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- SEMOUR, P.O.- SEMOUR, P.S.- KANDI, DIST.- GARHWA, JHARKHAND). (Mob No.-7033903227)

मै, MD DAUD ANSARI, SAIF ALI अन्य नाम MD SHAIF ALI का पिता, शपथ पत्र संख्या–18821 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र SAIF ALI के नाम से जाना जाएगा ।

SAIF ALI एवं MD SHAIF ALI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- R/O, MUSLIM TOLA NEAR MASJID, BHUCHUNGDIH P.O.- RAJRAPPA PROJECT, P.S.- RAMGARH, DIST.- RAMGARH, JHARKHAND). (Mob No.-6200966727)

मै, SUDHIR KUMAR JAIN, NISHCHAY JAIN अन्य नाम NISU JAIN का पिता, शपथ पत्र संख्या–212,146 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र NISHCHAY JAIN के नाम से जाना जाएगा ।

NISHCHAY JAIN एवं NISU JAIN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- R/O 136 JAIN HOUSE NEAR TELEPHONE EXCHANGE LALJI HIRJI ROAD O.C. COMPOUND, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-9431360106)

मै, सहदेव महतो, ABHISHEK KUMAR अन्य नाम सुमन कुमार का पिता, शपथ पत्र संख्या–808 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्र ABHISHEK KUMAR के नाम से जाना जाएगा ।

ABHISHEK KUMAR एवं सुमन कुमार दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- BAKARADIH, P.O.- KHESAKARI, P.S.- SURIYA, DIST.- GIRIDIH, JHARKHAND). (Mob No.-7254868244)

मै, MAQSOOD ALAM SHAH, MOQDDAS ALAM अन्य नाम MOKADAS ALAM का पिता, शपथ पत्र संख्या–11586 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र MOQDDAS ALAM के नाम से जाना जाएगा ।

MOQDDAS ALAM एवं MOKADAS ALAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- PURANAICHAK, ALIAS PURNADIH, DIST.- HAZARIBAGH, JHARKHAND). (Mob No.-9321253864)

मै, सुकरी देवी, पुजेस उराँव (PUJES ORAON) अन्य नाम पुजस उराँव (PUJUS ORAON) का माता, शपथ पत्र संख्या–2537 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र पुजेस उराँव (PUJES ORAON) के नाम से जाना जाएगा ।

पुजेस उराँव (PUJES ORAON) एवं पुजस उराँव (PUJUS ORAON) दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

(ADDRESS:- VILL.- CHEGRI, P.S.- SISAI, DIST.- GUMLA, JHARKHAND). (Mob No.-7410768705)

मै, भव्या तिवारी (BHAVYA TIWARY) अन्य नाम BHAVYA TIWARI पिता MANOJ TIWARY, शपथ पत्र संख्या–109 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं भव्या तिवारी (BHAVYA TIWARY) के नाम से जानी जाऊँगी ।

भव्या तिवारी (BHAVYA TIWARY) एवं BHAVYA TIWARI, दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- HOUSE NO.-27, KAMLA KANT ROAD, NOWA TOLI, DIST.- RANCHI, JHARKHAND). (Mob No.-9142410903)

मै, शबनम खातुन (SHABNAM KHATOON) अन्य नाम बीबी सबनम खातुन (BIBI SABNAM KHATOON), पति मु० मोहसीन अंसारी, शपथ पत्र संख्या–1322 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मैं शबनम खातुन (SHABNAM KHATOON) के नाम से जानी जाऊँगी ।

शबनम खातुन (SHABNAM KHATOON) एवं बीबी शबनम खातुन (BIBI SABNAM KHATOON) दोनों एक ही महिला का नाम है ।

(ADDRESS:- HIR KARHARIYA, P.O.- BHARTHACHAK, P.S.- HANWAR, DIST.- GODDA, JHARKHAND). (Mob No.-9576515736)

मै, BHARATI MAHATO, MANIK MAHATO अन्य नाम MANIK MAHTO की माता, शपथ पत्र संख्या–18 के आलोक मे घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र MANIK MAHATO के नाम से जाना जाएगा।

MANIK MAHATO एवं MANIK MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- PARALBADI GALUDIH, P.O.-GALUDIH, P.S.- KUCHAI, DIST.- SERAIKELA, KHARSAWAN, JHARKHAND). (Mob No.-9199853924)

मै, JAGNNAT LOHAR, HARSHIT KUMAR अन्य नाम HARSH KUMAR का पिता, शपथ पत्र संख्या–20 के आलोक मे घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र HARSHIT KUMAR के नाम से जाना जाएगा।

HARSHIT KUMAR एवं HARSH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

(ADDRESS:- VILL.- BARHI, P.O.-ICHA, RAJNAGAR, P.S.- RAJNAGAR, DIST.- SERAIKELA, KHARSAWAN, JHARKHAND). (Mob No.-9341517663)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 10--50 ।